卐 श्री महावीराय नमः 卐

website : www.jainsabharohtak.in email : rohtakjainsabha1905@gmail.com

जैन सभा (रजि.) रोहतक

(चिन्तामणि भगवान पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र)

स्थापना 24 नवम्बर 1905

(सन् 1860 के अधिनियम क्रमांक नं. XXI के अंतर्गत पंजीकृत संख्या - 78 दिनांक 31.10.1956)

हरियाणा सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012

(UnderHaryana Registration and Regulations of Societies Act No. 1 of 2012)

के अधीन विद्यमान जैन सभा

का

(संशोधित संविधान)

उद्देश्य एवं नियमावली तथा उपनियम

(यथा लागू 30 जून 2013)

नया पंजीकरण संख्या H.R.-R.T.K.-2013-000413 दिनांक 25.10.2013

Jain Sabha Regd. Rohtak
ESTD 1905
परस्परोपग्रहो जीवानाम्

संशोधित संविधान दिनांक : 30.06.2013
संशोधन संविधान दिनांक : 16.09.2014

प्रकाशक
मनोज कुमार जैन (डब्बू)
(महामंत्री)
जैन सभा (रजि.), रोहतक

मुख्य कार्यालय :- जैन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बड़ा बाजार, रोहतक-124001

मूल्य :- राशि 50/- रुपया

卐 ॐ ह्रीं नमः 卐

website : www.jainsabharohtak.in email : rohtakjainsabha1905@gmail.com

जैन सभा (रजि.) रोहतक

(चिन्तामणि भगवान पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र)

हरियाणा सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012

(Haryana Registration and Regulations of Societies Act 2012)

के अधीन विद्यमान जैन सभा का

संशोधित संविधान

उद्देश्य नियमावली तथा उपनियम

(यथा लागू 30 जून 2013)

नया पंजीकरण संख्या H.R.-R.T.K.-2013-000413 दिनांक 25.10.2013

भाग - एक

कॉलिजियम सहित (बहु-उद्देशीय) सोसाइटी के लिए आदर्श उपविधियाँ

1. **सभा का नाम** :- इस सभा का नाम **जैन सभा (रजि.), रोहतक** है ।

2. **सभा का पंजीकृत कार्यालय** :- जैन सभा का पंजीकृत/मुख्य कार्यालय जैन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बड़ा बाजार, रोहतक अथवा महामंत्री एवं शासकीय निकाय की सुविधानुसार जैन सभा के अंतर्गत किसी भी संस्था में होगा ।

3. **सभा का कार्यक्षेत्र, लक्ष्य तथा उद्देश्य एवं शर्तें** :-
जैन सभा का कार्यक्षेत्र समस्त रोहतक जिला एवं हरियाणा राज्य होगा ।

3.1 **मुख्य उद्देश्य :- मुख्य नारा - "जीओ और जीने दो" और धार्मिक, सामाजिक, शिक्षण, स्वास्थ्य सम्बन्धित कार्य को करना एवं करवाना ।**

3.2 **जैन सभा की स्थापना एवं सभा के अंतर्गत प्रबंध करना :-**
समाजरत्न लाला शिवदयाल जैन रईस ने मास्टर शिवराम जैन की प्रेरणा, बुजुर्गों के आशीर्वाद व समाज के सहयोग से दिगम्बर जैन समाज की स्थापना कर उसके अंतर्गत दिनांक 24 नवम्बर 1905 को जैन पाठशाला की स्थापना की तथा सन् 1956 तक संस्थाएं दिगम्बर जैन समाज दिगम्बर जैन मंदिर जी मौहल्ला सराय के अंतर्गत चलती रही । समाज रत्न लाला फतेहचन्द जैन रईस व बाबू सुमतप्रसाद जैन एडवोकेट आदि ने समस्त दिगम्बर जैन समाज, रोहतक की बैठक में निर्णय लेते हुए जैन सभा की स्थापना 31 अक्तूबर 1956 को की । वर्तमान में जैन सभा (रजि.) के अंतर्गत 4 संस्थाएं चल रही हैं । वर्तमान में इन सभी महानुभावों का स्वर्गवास हो चुका है । संस्थापक सदस्यों को बढ़ाया नहीं जा सकता ।

3.2.1 जैन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बड़ा बाजार (स्थापित 24 नवम्बर 1905)

3.2.2 जैन कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, किला रोड़, (स्थापित भादो सुदी सुगन्धदशमी सन् 1915)

3.2.3 जैन धर्मार्थ औषधालय (आयुर्वेद, पंचकर्म, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा व स्वास्थ्य केन्द्र), बड़ा बाजार (स्थापित आसौद वदी एकम सन् 1917)

3.2.4 जैन पब्लिक स्कूल, जीन्द रोड़ (स्थापित 5 अप्रैल 1994)

Rajesh

3.3 **उद्देश्य :-**

3.3.1 भगवान महावीर स्वामी जी के बतलाये मार्ग अनुसार राष्ट्रीय एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय विश्व शान्ति तथा मैत्री को बढ़ावा देना और जैन धर्म का प्रचार-प्रसार का कार्य करना ।

3.3.2 जैन सभा द्वारा साम्प्रदायिक तथा सामाजिक समन्वय तथा भाईचारा को बढ़ावा देना, योग साधन, शिक्षा केन्द्र, संग्रहालय, पुस्तकालयों, वाचनालयों, छात्रवासों, शिशु-निकेतनों, महिला आश्रमों, विद्यानिवास स्थलों, पार्कों, चिकित्सालयों, धर्मशाला, स्कूलों, कॉलेजों, गुरुकुलों, गौशाला तथा अन्य कल्याणकारी सहकारी संस्थाओं की स्थापना करना, ऐसी संस्थाओं को जैन सभा के अंतर्गत लेना व उनका संचालन करना ।

3.3.3 जैन सभा द्वारा धूम्रपान, शराब तथा मादक द्रव्य उपयोग के विरूद्ध निषेध के हेतु कार्य करना तथा लोगों को इस बुराई के प्रति जागरूक करना । राष्ट्र व प्राचीन जैन धर्म की आमनाओं व सम्पत्ति की रक्षा करना, उसमें सहयोग देना, सामाजिक व धार्मिक कुरीतियों को रोकना, प्रचार व प्रसार करना ।

3.3.4 जैन सभा द्वारा सामाजिक बुराई जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, शादी आदि के सामाजिक उत्सवों पर फिजूलखर्च, निर्णय इत्यादि लेने में महिलाओं को सशक्त करने में जागरूकता सृजित करना तथा संबोधित करना । जैन समाज के बुजुर्ग, शारीरिक दुर्बल व अन्य असमर्थ महानुभावों के लिए आश्रम, भोजन और रहने के स्थान पर (Boading House) की स्थापना व प्रबंध करना तथा उनके लिए धार्मिक क्रिया-कलापों की प्रबंध-व्यवस्था करना तथा किसी भी जैन लड़की जिसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके विवाह का प्रबंध करना तथा उसके परिवार को आर्थिक सहायता देना । आर्थिक सहायता एक परिवार को एक लड़की के विवाह में लिखित रूप से प्रार्थना-पत्र आने पर कार्यकारिणी (W.C.) समिति द्वारा दी जा सकेगी । दी गई आर्थिक सहायता लेने वाले परिवार का नाम गोपनीय रहेगा ।

3.3.5 जैन सभा द्वारा कृषि तथा पशुपालन को बढ़ावा देना तथा उन्नत करना, बीमार पशुओं/पक्षियों का उपचार करना/करवाना, गऊशाला खोलना व खुलवाना ।

3.3.6 जैन सभा द्वारा विशेष रूप से जल संरक्षण, स्वच्छता, कम लागत आवास, कृषि तथा पशुपालन तथा इन्जीनियरिंग स्रोत के क्षेत्र में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (लागत कमी, उत्पादकता सुधारने इत्यादि) के लिए तकनीकी तथा प्रौद्योगिकों को लागू करना सहित ग्रामीण विकास की प्रगति बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आरम्भ करना । जैन धर्म की मान्यताओं व सिद्धांतों के अनुसार सभा द्वारा प्रारम्भ किए गए प्रबंधित स्कूलों के लड़कों तथा लड़कियों को अन्य पान्ड्योचित शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा और निर्देश देना, प्रदान करना । जैन समाज के लड़कों व लड़कियों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियाँ, उपहार व अन्य सुविधाएँ देना व शारीरिक शिक्षा देने हेतु उचित प्रबंध करना ।

3.3.7 जैन सभा द्वारा संचालित संस्थाओं का प्रबंध करना, जैन समाज द्वारा किसी अन्य संस्था का प्रबंधकार्य सौंपे जाने और जैन सभा द्वारा स्वीकार किए जाने अथवा ऐसी ही संस्थाओं को प्रारंभ करने में सहयोग करना ।

3.3.8 जैन सभा द्वारा आर्थिक तथा सामाजिक परियोजनाओं के संगठन के मूल्यांकन को प्रारंभ करना ।

3.3.9 जैन सभा द्वारा संचालित संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं को खोलने हेतु, भविष्य में बड़ा भूखण्ड लेकर, उस भूखण्ड (भूमि) पर एक स्थान पर ही सभी संस्थाओं को खोलना । संस्थाओं के लिए भवनों का निर्माण करना, भूमि खरीदना, भूमि/पट्टे/किराये पर लेना या स्थायी धन एकत्रित करना, चन्दा प्राप्त/अनुदान प्राप्त करना ।

3.3.10 जैन सभा द्वारा जैन धर्म व अन्य धर्मों की प्राचीन पाण्डुलिपि, प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ एवं इन्हें भाषा में शोध करवाकर प्रकाशन करना व करवाना और जैन धर्म के बारे में जनमानस को जानकारी देना ।

3.4 सभा की शर्तें :-

3.4.1 जैन सभा की सम्पत्ति तथा आय सभा के हितों के लिए खर्च होगी । इसमें से किसी को भी सभा की राशि या सम्पत्ति का कोई भी भाग, Bonus या Divident के रूप में नहीं दिया जाएगा ।

3.4.2 जैन सभा की प्रबंधकारिणी समिति (कॉलिजियम) व कार्यकारिणी (Working Committee) के पदाधिकारीगण/सदस्यगण अवैतनिक होंगे । कोई भी पदाधिकारी/सदस्य वेतन नहीं लेगा । आम सामान्य सभा या प्रबंधकारिणी समिति या कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य जो सभा व संस्थाओं के कार्यों के लिए अपनी जेब से खर्च करेगा वह राशि सभा/संस्थाओं की आय में से सदस्यों को दी जाएगी । सभा व संस्थाओं के लिए किसी सदस्य से ली गई राशि का ब्याज तथा भवन का किराया जो सभा/संस्था का प्रयोग करने के लिए लिया गया हो, सभा की आय में से दिया जाएगा ।

3.4.3 जैन सभा व संस्थाओं को यदि कोई लाभ होगा या आमदनी होगी, वह राशि सभा व संस्थाओं के हितों के लिए खर्च होगी ।

3.4.4 जैन सभा व संस्थाओं द्वारा दानदाताओं, ऋणदाताओं तथा अनुदान से प्राप्त राशि, जिस उद्देश्य के लिए प्राप्त होगी, सिर्फ उसी उद्देश्य पर खर्च की जाएगी ।

3.4.5 जैन सभा द्वारा संस्थाओं की अचल सम्पत्ति पर सभा का पूर्ण अधिकार होगा । जैन सभा की आम सभा की मंजूरी के बिना कोई भी सम्पत्ति बेची या गिरवी नहीं रखी जा सकती ।

3.4.6 जैन सभा किसी कारणवश बंद होने की स्थिति में सभा की जायदाद, लेनदारी तथा देनदारी का कोई व्यक्ति या सदस्य व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार नहीं होगा । अपितु ऐसी स्थिति में समान विचारधारा वाली पंजीकृत सोसाइटी/समिति/ट्रस्ट को सौंप दी जाएगी । सभा का मंच किसी भी राजनीतिक पार्टी में सहयोग नहीं करेगा बल्कि जैन समाज के उत्थान के लिए कार्य करेगा ।

भाग - दो : नियम तथा नियमावाली (संविधान)

नोट :- कॉलिजियम/प्रबंधकारिणी समिति व शासकीय निकाय/कार्यकारिणी समिति से सम्बोधित किया जाएगा ।

4. सदस्यता :-

4.1 जैन सभा में प्रत्येक अग्रवाल जैन, आजीवन सदस्य होंगे ।

4.2 पात्रता :- सभा के आजीवन सदस्य के रूप में शामिल किए जाने के उद्देश्य से व्यक्ति :

4.2.1 जैन सभा के प्रत्येक अग्रवाल जैन, आजीवन सदस्य बनते समय 21 वर्ष की आयु का होना चाहिए ।

4.2.2 जैन सभा के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में अंशदान करना होगा ।

4.2.3 जैन सभा धार्मिक व शैक्षणिक संस्था है । इसको ध्यान में रखते हुए, आजीवन सदस्य शुल्क मात्र राशि 1100/- रूपया देकर सदस्यता ग्रहण कर सकता है । कॉलिजियम मीटिंग में 3/4 या 49 सदस्यों के बहुमत से आजीवन सदस्यता शुल्क बढ़ाया एवं घटाया जा सकता है ।

4.2.4 प्रत्येक अग्रवाल जैन जिसकी आयु सदस्य बनते समय 21 वर्ष हो चुकी हो, वह रोहतक नगर सीमा का स्थाई निवासी हो, अपनी आजीविका कमाने के लिए रोहतक नगर से बाहर देश/विदेश में रहता/रहती हो परन्तु उसका प्रमाणित रिकार्ड रोहतक नगर सीमा में हो या उसका परिवार रोहतक नगर सीमा में रहता/रहती हो। प्रमाणित से अभिप्राय: उनकी रोहतक नगर में सम्पति/मकान हो तथा परिवार से अभिप्राय: माता/पिता व पति/पत्नी तथा बच्चे रोहतक नगर में रहता/रहती हो तथा वह स्वयं रोहतक आता रहता/रहती हो, जैन सभा का सदस्य बन सकता है/सकती है। ऐसे सदस्य की सदस्यता का नियमानुसार शुद्धिकरण किया जा सकेगा। उनका स्थाई पता रोहतक नगर सीमा का होगा व पत्र व्यवहार पता जहाँ रह रहा है वहाँ का दे

Rajesh

Aman Jain

सकता है।

4.2.5 जैन सभा के आजीवन सदस्य बनते समय एक वर्ष या अधिक के कारावास वाले नैतिक अधमता वाले किसी अपराध का सिद्धदोष नहीं होना चाहिए ।

4.2.6 जैन सभा के आजीवन सदस्य बनते समय प्रत्येक अग्रवाल जैन जिसकी आयु सदस्य बनते समय 21 वर्ष हो चुकी हो, वह रोहतक नगर की सीमा में रहता हो/रहती हो, वह अपनी आजीविका कमाने के लिए रोहतक से बाहर जाता हो/जाती हो परंतु उसका परिवार, पति/पत्नी तथा बच्चे रोहतक नगर में रहते हों तथा वह स्वयं भी रोहतक आता रहता/रहती हो, जैन सभा का सदस्य बन सकता है/सकती है ।

4.2.7 जैन सभा के प्रत्येक अग्रवाल जैन सदस्य को जैन सभा के संविधान के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा सभा के लक्ष्य एवं उद्देश्य में पूर्णत: विश्वास रखेगा ।

4.2.8 जो लड़कियाँ/महिलाएँ विवाहित हैं और वह जैन सभा की प्रथम बार सदस्य बनना चाहती है वह आजीवन सदस्य केवल तब ही बन सकती है, जब वह स्वयं और उनका परिवार रोहतक में रहता हो ।

4.3 सदस्यों की प्रकार/किस्म/प्रवर्ग :- जैन सभा के संस्थापक सदस्यों का स्वर्गवास हो चुका है । भविष्य में संस्थापक सदस्य नहीं बनाया जा सकता ।

4.3.1 **जैन सभा के आजीवन सदस्य :-** प्रत्येक अग्रवाल जैन, जिसका जन्म जैन कुल में हुआ हो और उसे जैन धर्म में जन्म से ही पूर्ण आस्था हो तथा दृढ़तापूर्वक पालन कर रहा/रही हो । ऐसी महिलाएँ जिनका जन्म जैनेत्तर कुल में हुआ हो तथा विवाह उपरांत पति का जैन धर्म ग्रहण कर पूर्ण आस्था हो एवं दृढ़तापूर्वक पालन कर रही हो, ऐसे सदस्य को निर्धारित अंशदान (फीस) के भुगतान पर आजीवन सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है तथा इसके आजीवन के लिए सभा के सदस्य के रूप में बना रहेगा/रहेगी । आजीवन सदस्य के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के सदस्य नहीं होंगे ।

4.3.2 **विशेष आमंत्रित/अवैतनिक सदस्य :-** महामंत्री, जैन सभा के प्रधान से सलाह कर कॉलिजियम व शासकीय निकाय/कार्यकारिणी समिति विख्यात प्रतिभा तथा मैरिट के व्यक्तियों को विशेष आमंत्रित कर सकता है या जिसकी संस्था सभा के लिए लाभप्रद के रूप में सभा के लिए उत्कृष्ट मैरिट की सेवाएं अर्पित की हैं या जो सभा के विशेष आमंत्रित/अवैतनिक सदस्य के रूप में आजीवन सदस्य हो, को विशेष आमंत्रित की सहमति प्राप्त करने के बाद शासकीय निकाय में विशेष आमंत्रित कर सकता है । ऐसे विशेष आमंत्रित/अवैतनिक सदस्यों की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी । ऐसे विशेष आमंत्रित/अवैतनिक 10 सदस्य बैठक में उपस्थित होने तथा विचार-विमर्श में सहायक होने के लिए हकदार होंगे किंतु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

4.4 आजीवन सदस्यता फीस :-

4.4.1 जैन सभा की आजीवन सदस्यता ग्रहण करते हुए जिसकी आयु 21 वर्ष हो चुकी है, वह अपने स्वयं या परिवार के मुख्य सदस्य के बैंक खाते से राशि 1100/- रूपये (ग्यारह सौ रूपया) चैक/बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर जैन सभा (रजि.), रोहतक के नाम देय हो, सभा के महामंत्री, सभा कार्यालय, निर्धारित सदस्यता फार्म में मांगी गई जानकारियाँ/दस्तावेज दो फोटो सहित जमा कराकर, रसीद प्राप्त करें ।

4.4.2 जैन सभा के आजीवन सदस्य का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से देय होगा, जो ऐसे वर्ष के जून के 30वें दिन तक अंतिम रूप से भुगतान किया जा सकता है । चूककर्ता सदस्य की सदस्यता देय तिथि (30 जून) के बाद तथा ऐसा सदस्य कथित वर्ष की प्रथम जुलाई के बाद कराए गए सभा के निर्वाचनों के दौरान अपना मत डालने का हकदार नहीं होगा ।

4.4.3 **आजीवन सदस्य अंशदान :-** जैन सभा के प्रत्येक अग्रवाल जैन, आजीवन सदस्य को प्रत्येक त्रिवार्षिक

(चुनाव वर्ष) में कम से कम अंशदान राशि 100 रुपया (कॉलिजियम जो अंशदान निश्चित करे) देना अनिवार्य होगा। जो अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारंभ होकर, जो ऐसे वर्ष के जून 30वें दिन अंतिम रूप से अंशदान राशि देय होगी। चूककर्ता सदस्य की सदस्यता देय तिथि (30 जून) के बाद तथा ऐसा आजीवन सदस्य कथित वर्ष की प्रथम जुलाई के बाद (चुनाव मीटिंग) बुलाई सामान्य बैठक में भाग नहीं ले सकेगा एवं कराए गए सभा के निर्वाचनों के दौरान अपना मत डालने का अधिकार नहीं होगा। यदि जो आजीवन सदस्य अंशदान राशि समय पर जमा नहीं कराता, ऐसे आजीवन सदस्य का नाम सदस्य सूची (Voter List) में शामिल (प्रकाशित) नहीं होगा और उनका नाम निष्क्रिय सदस्यों की सूची में शामिल कर लिया जाएगा। ऐसे मामले में सदस्यता को एक वर्ष के अंदर ऐसी अवधि के भीतर सभा के प्रधान या महामंत्री के सम्मुख व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर अपना अंशदान राशि देना होगा, तो उस सदस्य की आजीवन सदस्यता यथाशीघ्र पूर्ण जीवित तथा सक्रियित की जा सकेगी और आगामी सदस्यता सूची (Voter List) में शामिल (प्रकाशित) किया जा सकेगा, अन्यथा एक वर्ष उपरांत ऐसे सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाएगी।

4.5 प्रवेश प्रक्रिया :-

4.5.1 जैन सभा के प्रत्येक अग्रवाल जैन, आजीवन सदस्य के रूप में प्रवेश 30 जून सांय 5 बजे तक होगा। महामंत्री सभा को नए बने सदस्यों की संख्या की जानकारी किसी भी सदस्य के पूछने पर या मांगने पर दो घण्टे के उपरांत अवश्य देनी होगी।

4.5.2 जैन सभा के प्रत्येक अग्रवाल जैन, आजीवन सदस्य के रूप में इच्छुक व्यक्ति विहित प्रारूप में, तथा विधिवत भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित तथा सभा के नियमित सदस्य द्वारा अनुशासित महामंत्री को समर्थित दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा। सभा के नए सदस्य बनते समय सदस्यता-निर्धारित फार्म पूरा भरकर हस्ताक्षर करके देना होगा, जो किसी भी वर्तमान सदस्य से प्रमाणित करवाना होगा।

4.5.3 जैन सभा के महामंत्री आवेदन की जाँच करेगा तथा उसे निर्णय के लिए शासकीय निकाय के सम्मुख रखेगा। शासकीय निकाय द्वारा जाँच-पड़ताल समिति (Scrutiny Committee) का गठन किया जाएगा। जाँच-पड़ताल समिति का संयोजक महामंत्री होगा। समिति में सभी आवेदन पत्रों की जाँच-पड़ताल की जाएगी। जाँच-पड़ताल समिति द्वारा अगर कोई आवेदन पत्र गलत पाता है तो उसको आजीवन सदस्य नहीं बनाया जाएगा और शासकीय निकाय उसकी सदस्यता शुल्क वापिस करने का निर्णय लेगा।

4.5.4 जैन सभा शासकीय निकाय/कार्यकारिणी समिति आवेदन को स्वीकृत या रद्द कर सकता है तथा इस संबंध में शासकीय निकाय/कार्यकारिणी समिति का निर्णय अंतिम होगा। यह इसके निर्णय के लिए कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

4.5.5 **आजीवन सदस्यों का पुनः निरीक्षण** :- जैन सभा की कॉलिजियम/शासकीय निकाय के प्रस्तावानुसार महामंत्री, प्रत्येक त्रिवार्षिक (चुनाव वर्ष) में प्रत्येक अग्रवाल जैन, आजीवन सदस्यों का पुनः निरीक्षण करवाए। यदि शासकीय निकाय जरूरत समझे तो पुनः आजीवन सदस्यता शुद्धिकरण आवेदन-पत्र भरवाएं। उसी अनुसार सदस्यता सूची (Voter List) का प्रकाशन हो और त्रिवार्षिक सामान्य बैठक (चुनाव मीटिंग) में भाग लेने तथा चुनाव में मत देने का अधिकार होगा। जिनका नाम सदस्यता सूची (Voter List) में प्रकाशन होगा।

4.5.6 जैन सभा के प्रत्येक आजीवन सदस्य को प्रत्येक त्रिवार्षिक चुनाव वर्ष में यदि शासकीय निकाय जरूरत समझे तो पुनः निरीक्षण के समय जो अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारंभ होकर जो ऐसे वर्ष के जून के 30वें दिन तक अंतिम रूप में सभा के नियमित आजीवन सदस्य द्वारा अनुशासित महामंत्री को समर्थित दस्तावेजों सहित निर्धारित आजीवन सदस्यता शुद्धिकरण आवेदन-पत्र भरकर, हस्ताक्षर कर, किसी वर्तमान अन्य

सदस्य से प्रमाणित करवाकर देना होगा। चूककर्ता सदस्य की सदस्यता देय तिथि (30 जून) के बाद तथा ऐसा आजीवन सदस्य कथित वर्ष की प्रथम जुलाई के बाद (चुनाव मीटिंग) बुलाई सामान्य बैठक में भाग नहीं ले सकेगा एवं कराए गए सभा के निर्वाचनों के दौरान अपना मत डालने का अधिकार नहीं होगा। यदि जो आजीवन सदस्य, शुद्धिकरण आवेदन-पत्र समय पर जमा नहीं कराता या जाँच-पड़ताल समिति (Scrutiny Committee) द्वारा संविधानानुसार जाँच करने पर ठीक नहीं पाया जाता है, ऐसे आजीवन सदस्य का नाम सदस्य सूची (Voter List) में शामिल (प्रकाशित) नहीं किया जाएगा और उनका नाम निष्क्रिया सदस्यों की सूची में शामिल कर लिया जाएगा। ऐसे मामले में सदस्य को एक वर्ष के अंदर ऐसी अवधि के भीतर सभा के प्रधान या महामंत्री के सन्मुख व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर अपना आजीवन सदस्यता शुद्धिकरण आवेदन-पत्र देना होगा। ऐसे आवेदन-पत्र को जाँच-पड़ताल समिति (Scrutiny Committee) द्वारा संविधानानुसार जाँच करने पर ठीक पाया जाता है, तो उस सदस्य की आजीवन सदस्यता यथाशीघ्र पुनर्जीवित तथा सक्रियित की जा सकेगी और आगामी सदस्यता सूची (Voter List) में शामिल (प्रकाशित) किया जा सकेगा, अन्यथा एक वर्ष उपरांत ऐसे सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाएगी।

4.5.7 जैन सभा की कॉलिजियम/शासकीय निकाय के प्रस्तावानुसार महामंत्री प्रत्येक त्रिवार्षिक (चुनाव वर्ष) में आजीवन सदस्य की कच्ची सदस्यता सूची (Voter List) (नए आजीवन सदस्य बनाए गए या पुनः निरीक्षण करवाए। आजीवन सदस्यता, शुद्धिकरण आवेदन-पत्र का जाँच-पड़ताल समिति (Scrutiny Committee) द्वारा जाँच-पड़ताल करने के उपरांत 15 जुलाई तक जारी करेगा और सभी आजीवन सदस्यों से 25 जुलाई तक आपत्तियाँ लिखित रूप से महामंत्री लेगा और आपत्तियाँ लेते समय आपत्तिकर्ता को जाँच-पड़ताल समिति के सम्मुख, व्यक्तिगत उपस्थित होने, उसे सुनवाई के लिए तिथि, समय नोट करवाएगा। आपत्तिकर्ता यदि व्यक्तिगत उपस्थित नहीं होता तो उसकी आपत्ति रद्द कर दी जाएगी। सभी आपत्तियों को जाँच-पड़ताल समिति निबटान 05 अगस्त तक करते हुए शासकीय निकाय में प्रस्तुत करेगी। महामंत्री मीटिंग के प्रस्तावानुसार 15 अगस्त तक फाईनल कम्प्यूटरीकरण फोटोयुक्त सदस्य सूची (Voter List) प्रकाशित करवाएगा। सदस्य सूची में जिन आजीवन सदस्य का नाम शामिल (प्रकाशित) होगा, उसे सामान्य बैठक में भाग लेने एवं चुनाव में मत देने का अधिकार होगा।

4.5.8 जैन सभा शासकीय निकाय का अनुमोदन करवाकर आजीवन सदस्यों को सूचित किया जाएगा, उसका नाम हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन नियम, 2012 के अधीन यथाविहित ऐसी रीति तथा प्रारुप में रखे जाने वाले आजीवन सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा तथा उसे सोसाइटी का पहचान-पत्र जारी किया जाएगा।

4.6 **प्रत्येक आजीवन सदस्य के लिए पहचान-पत्र :-** सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक अग्रवाल जैन, आजीवन सदस्य को जैन सभा के प्रधान/महामंत्री द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उसके फोटो, संक्षिप्त ब्यौरा तथा आजीवन सदस्यता पहचान-पत्र कम्प्यूटरीकरण फोटोयुक्त जारी किया जाएगा जिसका रिकार्ड महामंत्री की अभिरक्षा में रहेगा। पहचान-पत्र की अवधि आजीवन होगी। जिस आजीवन सदस्य का नाम सदस्यता सूची (Voter List) में शामिल (प्रकाशित) नहीं होगा, उसका पहचान-पत्र रद्द समझा जाएगा।

4.7 **सदस्यों के अधिकार तथा बाध्यताएँ :-**

4.7.1 जैन सभा के सभी आजीवन सदस्य इसकी उपविधियों में यथा अंतर्विष्ट तथा समय-समय पर यथा संशोधित सभा के नियमों तथा विनियमों द्वारा बाध्य किए जाएंगे।

4.7.2 जैन सभा के प्रत्येक आजीवन सदस्य को सभा के निर्वाचन में अपना मत डालने का अधिकार होगा परंतु ऐसा

सदस्य सभा के किसी देयों तथा देय तिथि 30 जून की अवधि तक भुगतान में चूककर्ता नहीं होना चाहिए ।

4.7.3 जैन सभा के प्रत्येक आजीवन सदस्य को सात दिन का नोटिस प्रधान/महामंत्री को देते हुए किसी कार्य दिवस को सभा की लेखा पुस्तकों, सामान्य बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत वाली पुस्तकों, शासकीय निकाय/कार्यकारिणी समिति की बैठकों तथा सदस्यों के रजिस्टर का निरीक्षण करने का अधिकार होगा । जो शासकीय निकाय द्वारा निर्धारित की गई शुल्क राशि या कम से कम शुल्क राशि 100/- रूपया का भुगतान करने के उपरांत होगा ।

4.7.4 जैन सभा का प्रत्येक आजीवन सदस्य उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में सभा के महमंत्री को सूचित करेगा, जो सभा के सदस्यों के रजिस्टर में विधिवत अभिलिखित किया जाएगा तथा जिसके बाद सभा के प्रधान/महामंत्री ऐसे सदस्य को नया पहचान-पत्र जारी करेंगे ।

4.8 सदस्यता की समाप्ति :- सदस्य के रूप में शामिल कोई व्यक्ति निम्नलिखित घटनाओं में सभा के सदस्य के रूप में नहीं रहेगा :

4.8.1 सोसाइटी की धारा 22 में अंतर्विष्ट उपबंधों को आकर्षित करने ।

4.8.2 जैन सभा के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रतिकूल उसके कार्य करने पर ।

4.8.3 जैन सभा के ऐसे सदस्य के सभा की निधियों का वित्तीय गबन कर दोषी पाने पर ।

4.8.4 जैन सभा के सदस्यों का जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार/महारजिस्ट्रार द्वारा हटाने के लिए अभ्यारोपण तथा निदेशनों पर ।

4.8.5 अगर कोई सदस्य या पदाधिकारी जैन समाज, जैन सभा की बदनामी का कार्य करता हो या उसका व्यवहार असभ्य हो । ऐसे किसी भी सदस्य की सदस्यता आगामी पाँच वर्षों के लिए समाप्त कर दी जाएगी ।

4.8.6 ऐसे किसी भी सदस्य की सदस्यता आगामी पाँच वर्षों के लिए समाप्त कर दी जाएगी, के अंतर्गत किसी भी आजीवन सदस्य के विरूद्ध सदस्यता समाप्ति की कार्यवाही जब की जा सकेगी जब कम से कम जैन सभा के 50 (पचास) आजीवन सदस्य या कॉलिजियम के 10 सदस्य शिकायत/आरोप प्रधान अथवा महामंत्री जैन सभा को लिखित रूप में भेजेंगे । लिखित शिकायत/आरोप प्राप्त होने की तिथि से एक महीने के अंदर प्रधान अथवा महामंत्री जैन सभा को जैन सभा की प्रबंधकारिणी/कॉलिजियम, सदस्यता समाप्त करने या न करने का निर्णय लेने लिए अवश्य बुलानी होगी । जिन सदस्यों ने लिखित रूप से किसी सदस्य के विरूद्ध शिकायत/आरोप लिखकर भेजें हैं, उसके गलत सिद्ध होने पर शिकायत/आरोप भेजने वाले की सदस्यता जैन सभा की विशेष कॉलिजियम मीटिंग में 3/4 या 49 सदस्यों के बहुमत से स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी । उपरोक्त नियम 8 के अंतर्गत सदस्यता समाप्ति का अधिकार कॉलिजियम को होगा । सदस्यता समाप्त करने से पहले सदस्य को अपनी सफाई देने के लिए लिखित रूप से 15 (पंद्रह) दिन का समय दिया जाएगा । अगर उसके उत्तर से सभा सहमत (संतुष्ट) न हो तो 3/4 या 49 सदस्यों के बहुमत से उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी ।

4.8.7 यदि वह अपनी इच्छा से आजीवन सदस्यता से त्यागपत्र दे दे और वह सभा के प्रधान व महामंत्री द्वारा संयुक्त रूप से स्वीकृत कर लिया जाए ।

4.8.8 यदि वह जैन धर्म को छोड़कर अन्य धर्म ग्रहण कर ले ।

4.8.9 ऐसी कोई महिला सदस्य जिसका जैनेतर कुल में विवाह हो जाने पर या वर्तमान में महिला का विवाह होने पर रोहतक से तथा बाहर किसी अन्य स्थान परिवर्तन होने पर, वह महिला आजीवन सदस्य नहीं रहेगी ।

4.8.10 जैन सभा के आजीवन सदस्य जो रोहतक नगर छोड़कर किसी अन्य स्थान पर रहने लग जाए और रोहतक में उसका प्रमाणित रिकार्ड उपलब्ध न हो, ऐसे सदस्य जो बने हुए हैं और वर्तमान में बने हैं, उनकी सदस्यता

Rajesh

Aman Jain

कॉलिजियम की मीटिंग में 3/4 या 49 सदस्यों के बहुमत से समाप्त की जाएगी ।

4.8.11 जैन सभा के पदाधिकारीगण/कॉलिजियम/शासकीय निकाय के सदस्यगण तथा संस्था के प्रबंधक और उपसमिति के संयोजक/सदस्यगण यदि लगातार कॉलिजियम/शासकीय निकाय की तीन मीटिंगों में प्रधान या महामंत्री को बिना सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तो उस अवस्था में पद/सदस्यता नियमानुसार समाप्त हो जाएगी और उस स्थान की पूर्ति नियमानुसार कर दी जाएगी ।

4.8.12 जैन सभा व संस्थाओं द्वारा भगवान महावीर स्वामी जयन्ती तथा स्थापना दिवस या अन्य आयोजित समारोह पर जैन सभा के पदाधिकारीगण/कॉलिजियम/शासकीय निकाय के सदस्यगण तथा संस्था के प्रबंधक और उप-समिति के संयोजक/सदस्यगण यदि विशेष परिस्थितियों में प्रधान व महामंत्री को बिना बताए/सूचना के उपस्थित नहीं होते तो आगामी कॉलिजियम/प्रबंधकारिणी की मीटिंग में कुल सदस्यों का 51% के बहुमत से पद/सदस्यता नियमानुसार समाप्त कर दी जाएगी और उस स्थान की पूर्ति नियमानुसार कर दी जाएगी।

5. सामान्य निकाय :-

5.1.1 जैन सभा के आजीवन सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक सामान्य निकाय का सदस्य होगा तथा कॉलिजियम/प्रबंधकारिणी सदस्यों के निर्वाचन के लिए अपना मत डालने के लिए हकदार होगा ।

5.1.2 जैन सभा के प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप में अपना मत डालेगा तथा कोई भी प्रतिपुरूष मतदान अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

6. सभा का कॉलिजियम/प्रबंधकारिणी :-

6.1.1 जैन सभा में आजीवन सदस्य होंगे जो इसके कॉलिजियम/प्रबंधकारिणी का गठन करेंगे । प्रत्येक आजीवन सदस्य, जो क्रमश: 65 कॉलिजियम/प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों को निर्वाचित करेगा ।

6.1.2 जैन सभा के कॉलिजियम/प्रबंधकारिणी सभी उद्देश्यों तथा प्रयोजनों के लिए सामान्य निकाय के रूप में कार्य करेगा तथा 65 कॉलिजियम/प्रबंधकारिणी के सदस्य कुल 13 यानि क्रमश: 5 पदाधिकारियों तथा 8 शासकीय निकाय/कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को निर्वाचित करेंगे ।

6.1.3 **निर्वाचकगण/मण्डल/वार्ड या अधिकतम मत द्वारा :-** जैन सभा के प्रत्येक आजीवन सदस्य, जो कॉलिजियम के 65 सदस्यों का निर्वाचित/चयन करेगा । कॉलिजियम के सदस्यों का निर्वाचन/चयन एवं चुनाव प्रक्रिया क्या हो, वह प्रक्रिया कॉलिजियम द्वारा बनाई जाएगी । जिसमें 65 सदस्यों में से 49 सदस्य के बहुमत से मीटिंग में बनाई जाएगी । जैसाकि जैन सभा के आजीवन सदस्यों का 65 निर्वाचकगण/मण्डल/वार्ड या गठन अलग-अलग, भौगोलिक फैलाव (यानि 1 तथा 2 मौहल्ला/गली/मार्ग) या सीधी संख्याओं, सदस्यता सूची (यानि क्रमांक 1 से 60 तक) या अधिवक्ताओं, डॉक्टरों, सीए, इन्जीनियर या स्नातकोत्तरों, शिक्षण, सामाजिक/धार्मिक कार्यकताओं आदि विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है या प्रत्येक कॉलिजियम का सदस्य उम्मीदवार प्रत्येक आजीवन सदस्यों में से अधिकतम मत प्राप्त कर क्रमश: 65 सदस्यों का निर्वाचित/चयन हो । यदि कॉलिजियम प्रत्येक आजीवन सदस्यों में से अधिकतम मत प्राप्त द्वारा प्रक्रिया से होगा, तब प्रत्येक आजीवन सदस्य की सदस्यता सूची (Voter List) एक बनाई जाएगी । जिस सदस्य का नाम सदस्य सूची में शामिल है, उन्हें प्रत्येक क्रमश: उम्मीदवरों में से किसी एक उम्मीदवार को मत देने का अधिकार होगा । अधिकतम मत लेने वाले उम्मीदवार को कॉलिजियम का सदस्य घोषित किया जाएगा । यदि कॉलिजियम उपरोक्त किसी भी प्रकार से निर्वाचकगण/मण्डल/वार्ड द्वारा प्रक्रिया से होगा, तब मीटिंग के प्रस्तावानुसार महामंत्री अलग-अलग 65 निर्वाचकगण/मण्डल/वार्ड की स्थापना करेगा और अलग-अलग ही निर्वाचकगण की कच्ची सदस्यता सूची/नक्शा नियम 4.5.7 अनुसार जारी करेगा और उसी

प्रक्रिया से फाईनल सदस्यता सूची/नक्शा शासकीय निकाय में प्रस्तुत कर, जारी करेगा । प्रत्येक निर्वाचकगण/मण्डल/वार्ड की जो अलग-अलग कम्प्यूटरीकरण फोटोयुक्त सदस्यता सूची (Voter List) में जिन सदस्य का नाम है, उन्हें उसी निर्वाचकगण/मण्डल/वार्ड में मत देने का अधिकार होगा । अन्य चुनाव के जो नियम बनाए जाएंगे, उसी प्रक्रिया से गुप्त मतदान द्वारा चुनाव होगा ।

6.1.4 जैन सभा का आजीवन सदस्य जिस निर्वाचकगण/मण्डल/वार्ड, सदस्य सूची (Voter List) में नाम शामिल है । उस निर्वाचकगण/मण्डल/वार्ड से या अन्य से कॉलिजियम सदस्य के लिए अपना नामांकन आवेदन-पत्र शुल्क सहित दे सकता/सकती है । ऐसे सदस्य को एक स्थान से नामांकन आवेदन-पत्र के अतिरिक्त अन्य नामांकन आवेदन-पत्र वापिस लेने होंगे, अन्यथा सभी नामांकन-पत्र रद्द कर दिए जाएंगे । किसी भी नामांकन आवेदन-पत्र के साथ जो शुल्क जमा किया गया है, वह लौटाया नहीं जाएगा ।

6.1.5 **अंशदान** :- जैन सभा के प्रत्येक पदाधिकारी व प्रबंधक तथा शासकीय निकाय सदस्य को प्रत्येक वर्ष कम से कम अंशदान राशि 1000/- रुपया तथा कॉलिजियम सदस्य को अंशदान राशि 250/- रुपया (कॉलिजियम जो अंशदान निश्चित करे) देना अनिवार्य होगा । जो अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारंभ होकर जो वर्ष के जून 30वें दिन अंतिम रूप से अंशदान राशि देय होगी । चूककर्ता पदाधिकारी व प्रबंधक तथा शासकीय निकाय सदस्य एवं कॉलिजियम सदस्य के खिलाफ नियम 4.8.12 अनुसार पद/सदस्यता नियमानुसार समाप्त की जाएगी और उस स्थान की पूर्ति नियमानुसार की जाएगी ।

6.1.6 **संस्था प्रबंधक मनोनीत** :- जैन सभा की शासकीय निकाय/कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी/सदस्यगण अलग-अलग संस्थाओं के दैनिक प्रशासन के लिए प्रबंधक/मैनेजर, शासकीय निकाय के सदस्य को मनोनीत/मनोनयन करेंगे । यदि जरूरत समझे कि शासकीय निकाय के सदस्य के अतिरिक्त कॉलिजियम के सदस्यों में से प्रबंधक/मैनेजर को मनोनीत/मनोनयन कर सकती है, ऐसी अवस्था में उन्हें शासकीय निकाय की मीटिंग में विशेष आमंत्रित किया जाएगा । बैठक में उपस्थित होने तथा विचार-विमर्श में सहायक होने के लिए हकदार होंगे किंतु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा । प्रबंधक/मैनेजर की कार्यप्रणाली से यदि जैन सभा के प्रधान या महामंत्री संतुष्ट नहीं होंगे तो शासकीय निकाय/कार्यकारिणी समिति के 5 पदाधिकारियों सहित कुल 13 सदस्यों में से 9 सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है ।

भाग - तीन

7. **कॉलिजियम के निर्वाचन के लिए प्रक्रिया** :- जैन सभा (रजि.) रोहतक की वार्षिक/त्रिवार्षिक सामान्य बैठक (त्रिवार्षिक चुनाव की सामान्य मीटिंग) किसी भी रविवार, 31 अगस्त तक अवश्य बुलाई जाएगी । यदि चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है तो सभी चुनाव प्रक्रिया 15 अक्तूबर तक अनिवार्य होनी चाहिए।

7.1.1 सभा की वार्षिक सामान्य/त्रिवार्षिक (चुनाव) मीटिंग प्रधान की सलाह से (प्रधान को लिखित सूचना देकर) महामंत्री द्वारा निश्चित तिथि, स्थान तथा समय पर बुलाई जाएगी । इसमें वार्षिक हिसाब-किताब पास किए जाएंगे । त्रिवार्षिक सामान्य बैठक (चुनाव वर्ष) में सभा की कॉलिजियम के सदस्यों के लिए (प्रत्येक तीन वर्ष के बाद) चुनाव गुप्तमतदान द्वारा होगा होगा तथा कार्यसूची में दिए गए विषयों पर विचार होगा ।

7.1.2 जैन सभा की वार्षिक/त्रिवार्षिक सामान्य बैठक प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक अवश्य बुलाई जाएगी ।

7.1.3 जैन सभा की त्रिवार्षिक सामान्य बैठक, वार्षिक सामान्य बैठक कॉलिजियम की बैठक अन्य विशेष बैठक

Rajesh

Amar Jain

श्री दिगम्बर जैन जतीजी, भगवान महावीर मार्ग, रोहतक में होगी । यदि किसी कारणवश श्री दिगम्बर जैन जती जी का स्थान उपलब्ध नहीं है, तब ये बैठकें सभा के अंतर्गत संचालित संस्थाओं के भवन में होंगी । शासकीय निकाय की बैठक संस्थाओं के भवन में होगी ।

7.1.4 जैन सभा के 65 आजीवन सदस्य कॉलिजियम के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाएंगे । प्रत्येक सदस्य नियम 6.1.3 के अनुसार प्रतिनिधित्व करेगा । कॉलिजियम के सदस्य हेतु नामांकन पत्र उन्हीं सदस्यों का होगा, जो चुनाव वर्ष से एक वर्ष पूर्व से जैन सभा के आजीवन सदस्य हैं ।

7.1.5 कॉलिजियम/शासकीय निकाय की अवधि इसके गठन की तिथि से तीन वर्ष होगी ।

7.1.6 जैन सभा की विशेष बैठक संविधान संशोधन के लिए गणपूर्ति (कोरम) कुल आजीवन सदस्यों का 40% व प्रथम स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) 25% की होगी ।

7.1.7 जैन सभा की सामान्य बैठकों/विशेष बैठकों के लिए गणपूर्ति 250 सदस्यों की होगी ।

7.1.8 जैन सभा की सामान्य बैठकों/विशेष बैठकों की गणपूर्ति (कोरम) के अभाव में स्थगित बैठक प्रधान एवं महामंत्री द्वारा संयुक्त रूप से स्थगित की जाएगी और 7 दिन के अंदर-अंदर स्थगित मीटिंग बुलानी होगी । अगली बैठक का निश्चित स्थान तथा समय की घोषणा उसी बैठक में की जाएगी । स्थगित बैठक के लिए कार्यसूची वही रहेगी । अन्य विषयों को शामिल नहीं किया जाएगा । ऐसी अगली स्थगित बैठक में कारोबार पूरे करने के लिए सक्षम होगा ।

7.1.9 जैन सभा की वार्षिक सामान्य बैठक/त्रिवार्षिक सामान्य बैठकों के लिए 15 दिन का नोटिस अवश्य होगा । विशेष बैठकों के लिए 7 दिन का नोटिस होगा । इसकी सूचना जैन समाज के धार्मिक स्थलों व संस्थाओं के नोटिस बोर्ड व कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से सभी आजीवन सदस्यों को सूचित किया जाएगा तथा सभा के Website पर सारा ब्यौरा डाल दिया जाएगा ।

7.1.10 जैन सभा की कॉलिजियम के 65 सदस्यों का चुनाव केवल गुप्त मतदान द्वारा होगा । प्रत्येक तीन वर्ष के बाद जैन सभा की प्रबंधकारिणी/कॉलिजियम समिति के सदस्यों का चुनाव अक्तूबर मास में 15 अक्तूबर तक अवश्य कराए जाएंगे । सामान्य बैठक व चुनाव में भाग लेने का अधिकार केवल उन सदस्यों को होगा जो समय से पूर्व अपना अंशदान उस वर्ष 30 जून तक अवश्य जमा करा दिया होगा तथा कॉलिजियम सदस्य के चुनाव/निर्वाचन हेतु सदस्य लगातार एक वर्ष से सभा का आजीवन सदस्य होना चाहिए ।

7.1.11 नए सदस्य जो 30 जून तक अग्रवाल जैन सदस्य बन गए हैं, उन्हें मतदान का अधिकार होगा ।

7.1.12 अगस्त 15 तक कम्प्यूटरीकरण फोटोयुक्त सदस्य सूची (Voter List) बराबर महामंत्री के द्वारा तैयार की जाएगी जो कि निर्धारित शुल्क देकर किसी भी जैन सभा के आजीवन सदस्य द्वारा प्राप्त की जा सकती है । सदस्यता सूची Website पर देख सकते हैं, व प्रिंट निकाल सकते हैं ।

7.2 गुप्त मतदान :-

7.2.1 जैन सभा (रजि.) की कॉलिजियम के 65 सदस्यों का निर्वाचन गुप्तमतदान द्वारा होगा

7.3 चुनाव :-

7.3.1 जैन सभा की त्रिवार्षिक सामान्य बैठक में गुप्त मतदान द्वारा कॉलिजियम सदस्यों, जिनमें 4 महिला सदस्य शामिल होंगी, यदि महिला सदस्य का अधिकतम मतों से निर्वाचन नहीं होता तो उस अवस्था में पुरूष सदस्य अधिकतम मत लेने वाले से पूर्ति हो जाएगी । चुनाव की सारी प्रक्रिया 15 अक्तूबर तक अनिवार्य हो जानी चाहिए ।

7.3.2 जैन सभा की त्रिवार्षिक सामान्य बैठक होने के उपरांत 10 दिन के अंदर कॉलिजियम की मीटिंग में मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करेंगे । मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति मीटिंग में 3/4 या 49 उपस्थित सदस्यों के बहुमत से की जाएगी । मुख्य चुनाव अधिकारी अपने दो सहयोगी चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति जैन सभा के प्रधान व महामंत्री से संयुक्त परामर्श से करेगा । अन्य सहायक चुनाव अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा प्रधान व महामंत्री के संयुक्त परामर्श से आवश्यकता के अनुसार समुचित समय पर की जाएगी । मुख्य चुनाव अधिकारी प्रधान या महामंत्री भी बनाए जा सकते हैं ।

7.3.3 **कॉलिजियम सदस्य व पदाधिकारी/शासकीय निकाय सदस्य निर्वाचन अधिसूचना :-** जैन सभा की त्रिवार्षिक सामान्य बैठक मीटिंग में लिए गए निर्णयानुसार 10 दिन के भीतर कॉलिजियम मीटिंग में मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति व आगामी कॉलिजियम के 65 सदस्य का निर्वाचन एवं नव-निर्वाचित कॉलिजियम के 65 सदस्य में से 5 पदाधिकारी सहित शासकीय निकाय के 8 सदस्य का निर्वाचन/चुनाव करने की अधिसूचना मीटिंग के निर्णयानुसार प्रधान और महामंत्री संयुक्त रूप से या प्रधान की सलाह से महामंत्री जारी करेंगे । सभी चुनाव/निर्वाचन प्रक्रिया 30 दिन के भीतर या 31 अक्तूबर से पूर्व होनी अनिवार्य होगी । जिसे सभा एवं अंतर्गत संस्थाओं, दिगम्बर जैन मंदिरों, स्थानकों व चुनाव कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा जैन सभा के Website पर संबंधित चुनाव प्रक्रिया ब्यौरा उसी दिन डाल दिया जाएगा । अधिसूचना की प्रति, जिला रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटीज, व निर्देशक शिक्षा विभाग, हरियाणा को भेजी जाएगी, ताकि उनके द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा सके, यदि वह ऐसी इच्छा करता है ।

7.3.4 जैन सभा का प्रत्येक अग्रवाल जैन, आजीवन सदस्य जिनका नाम सदस्य सूची (Voter List) में शामिल है, वह चुनाव में मत डालने का हकदार होगा । किसी आक्षेप (विवाद) पर प्रधान और महामंत्री के संयुक्त परामर्श से मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा निर्णीत (निर्णय) किया जाएगा, तथापि निर्णय राय किसी भिन्नता की घटना में अंतिम होगा । उसके बाद मुख्य चुनाव अधिकारी अधिसूचना के आधार पर उम्मीदवार से नामांकन-पत्र लेगा, नामांकन-पत्र की संवीक्षा/जाँच तथा वापसी, यदि कोई हो, में विहित अवधि के भीतर प्राप्त किए गए, नामांकन कर्ता को चुनाव चिन्ह प्रदान करेगा । कॉलिजियम सदस्य, उम्मीदवार दस या अधिक नामांकन कर्ता व पदाधिकारी/शासकीय निकाय सदस्य, उम्मीदवार पांच या अधिक नामांकर्ता लिखित संयुक्त रूप से मांग करने पर उन्हें चुनाव चिन्ह एक प्रदान किया जाएगा ।

7.3.5 मुख्य चुनाव अधिकारी सभा चुनाव कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की सूची प्रदर्शित करेगा । मुख्य चुनाव अधिकारी अधिसूचना तिथि को निर्वाचन/चुनाव करवाएगा । मत के लिए पात्र सदस्य को जहां कही विवाद हो, सभा द्वारा जारी पहचान-पत्र की प्रस्तुति पर अपना मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । यदि किसी पहचान-पत्र पर आपत्ति है तो मुख्य चुनाव अधिकारी सभा के प्रधान या महामंत्री से परामर्श कर उसे मत डालने की आज्ञा दे सकता है ।

7.3.6 चुनाव के लिए आवश्यक चुनाव शुल्क शासकीय निकाय/कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों का नामांकन भरने वाले सदस्यों को रूपए 5100/- तथा कॉलिजियम/शासकीय निकाय के सदस्यों के लिए नामांकन भरने वालों को रूपए 500/- जमा कराना होगा तथा समय-समय पर कॉलिजियम निश्चित करें । कॉलिजियम पदाधिकारी/शासकीय निकाय के सदस्य नामांकन पत्र निर्धारित शुल्क के साथ भर सकते हैं, जो शुल्क लौटाया नहीं जाएगा ।

Rajesh

7.3.7 जो सदस्य सभा के कॉलिजियम के सदस्य व पदाधिकारी/शासकीय निकाय के सदस्यगणों के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, वे निर्धारित नामांकन पत्र ठीक प्रकार से पूरा भरकर चुनाव अधिकारी को चुनाव प्रक्रिया शुरू होने पर निर्धारित शुल्क के साथ जमा कराएंगे । नामांकन पत्र पर कम से कम सभा के एक सदस्य से प्रस्ताव पास करवाना होगा तथा एक अन्य सदस्य से अनुमोदित कराना होगा ।

7.3.8 कोई भी सदस्य कॉलिजियम/पदाधिकारी/शासकीय निकाय के सदस्यों के चुनाव में केवल उतने ही नामांकन पत्रों पर प्रस्तावक अथवा अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर कर सकेगा, जितने स्थानों के लिए चुनाव हो रहा है । यदि वह स्वयं उम्मीदवार है तो वह एक कम नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर सकेगा ।

7.3.9 सभा के कॉलिजियम सदस्यों व पदाधिकारियों/शासकीय निकाय के सदस्यगणों के यदि चुनाव होते हैं तो गुप्त मतदान द्वारा होंगे । सभी सदस्यों के लिए परिचय-पत्र आवश्यक होंगे या शासकीय निकाय की मीटिंग के निर्णयानुसार या वर्तमान प्रधान और महामंत्री तथा मुख्य चुनाव अधिकारी के संयुक्त परामर्श के अनुसार होगा ।

7.3.10 प्रधान व महामंत्री, चुनाव अधिकारियों से आर्थिक विषयों पर पूर्ण सहयोग करेंगे ।

7.3.11 मतदान के दिन की समय की समाप्ति के बाद, मुख्य चुनाव अधिकार परिणाम घोषित करेगा तथा सभा का कॉलिजियम गठित करेगा । मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित कॉलिजियम के निर्वाचित सदस्यों की सूची उसी दिन जिला रजिस्ट्रार व जैन सभा वर्तमान प्रधान और महामंत्री के पास रिपोर्ट करेगा । जिसकी वर्तमान प्रधान एवं महामंत्री संयुक्त रूप से अधिसूचना जारी करेंगे । यदि 3 दिन के अंदर अधिसूचना जारी नहीं की गई तो मुख्य चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट ही अधिसूचना समझी जाएगी ।

7.4 शासकीय निकाय का निर्वाचन :-

7.4.1 जैन सभा के 5 पदाधिकारी, प्रधान, उपप्रधान, महामंत्री, संयुक्तमंत्री, कोषाध्यक्ष व शासकीय निकाय के 8 सदस्य तथा संस्था के अलग-अलग प्रबंधक होगे।

7.4.2 **शपथ समारोह :-** जैन सभा कॉलिजियम के 65 सदस्य निर्वाचित, मुख्य चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट पर वर्तमान प्रधान और महामंत्री संयुक्त रूप से 3 दिन के भीतर या महामंत्री (प्रधान की सलाह से) नव-निर्वाचित कॉलिजियम की बैठक (चुनाव अधिसूचना के आधार पर तिथि, समय, स्थान निश्चित कर) बुलाएंगे । जिस बैठक में कॉलिजियम के 65 निर्वाचित सदस्यों को सभा उद्देश्य का पालन करना व जैन धर्म के अनुसार धार्मिक, सामाजिक, शिक्षण, स्वास्थ्य संबंधित कार्य करना एवं कराना की शपथ दिलवाई जाएगी और सभा के पांच पदाधिकारी व शासकीय निकाय के 8 सदस्यों का सर्वसम्मति से मनोनयन/मनोनीत के विषय पर विचार किया जाएगा । यदि सर्वसम्मति से निर्णय नहीं हो तो चुनाव अधिसूचना के आधार पर गुप्त मतदान होगा ।

7.4.3 पदाधिकारी/शासकीय निकाय के सदस्यों के गुप्त मतदान होगे। मुख्य चुनाव अधिकारी चुनाव अधिसूचना के आधार पर नव-निर्वाचित कॉलिजियम के 65 सदस्यों में से 5 पदाधिकारी सहित शासकीय निकाय के 8 सदस्य के लिए उम्मीदवारों के नामांकन पत्र लेगा, नामांकन पत्र की संवीक्षा/जाँच तथा वापसी, यदि कोई हो, में विहित अवधि के भीतर प्राप्त किए गए, नामांकन कर्ता को चुनाव चिन्ह प्रदान करेगा । पदाधिकारी/शासकीय निकाय सदस्य, उम्मीदवार पांच या अधिक नामांकन कर्ता लिखित संयुक्त रूप से मांग करने पर उन्हें चुनाव चिन्ह एक प्रदान किया जाएगा ।

7.4.4 मतदान के दिन की समय की समाप्ति के बाद, मुख्य चुनाव अधिकार परिणाम घोषित करेगा तथा सभा

के पदाधिकारी व शासकीय निकाय गठित करेगा । मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पदाधिकारी व शासकीय निकाय के निर्वाचित सदस्यों की सूची उसी दिन जिला रजिस्ट्रार व जैन सभा वर्तमान प्रधान और महामंत्री, एवं नव-निर्वाचित प्रधान और महामंत्री के पास रिपोर्ट करेगा । जिसकी वर्तमान प्रधान एवं महामंत्री संयुक्त रूप से अधिसूचना जारी करेंगे । यदि 3 दिन के अंदर अधिसूचना जारी नहीं की गई तो मुख्य चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट ही अधिसूचना समझी जाएगी तथा नव-निर्वाचित पदाधिकारी एवं शासकीय निकाय के सदस्य अपना कार्यभार संभाल लेंगे ।

7.4.5 मुख्य चुनाव अधिकारी सभा/संस्थाओं चुनाव कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की सूची प्रदर्शित करेगा । मुख्य चुनाव अधिकारी अधिसूचना तिथि को निर्वाचन/चुनाव करवाएगा । मत के लिए कॉलिजियम सदस्य को जहाँ कहीं विवाद हो, सभा द्वारा जारी पहचान-पत्र और निर्वाचित कॉलिजियम सदस्यगण अधिसूचना/रिपोर्ट की प्रस्तुति पर अपना मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । यदि किसी पहचान-पत्र या अधिसूचना/रिपोर्ट पर आपत्ति है तो मुख्य चुनाव अधिकारी वर्तमान प्रधान और महामंत्री से परामर्श कर उन्हें मत डालने देगा ।

7.4.6 सभा के पदाधिकारी व संस्था प्रबंधक सभा/संस्था की सेवाएं देने के लिए किसी पारिश्रमिक के लिए हकदार नहीं होंगे ।

7.4.7 मुख्य चुनाव अधिकारी चुनाव उपरांत 10 दिन के अंदर-अंदर कॉलिजियम व पदाधिकारी/शासकीय निकाय चुनाव से संबंधित सभी रिकार्ड, मत-पत्र व आय-व्यय ब्यौरा आदि निर्वाचित महामंत्री को देकर उससे रसीद प्राप्त करेगा ।

7.4.8 **सभा/कॉलिजियम/शासकीय निकाय के सदस्य व पदाधिकारी नया चुनाव होने तक अपना कार्य करते रहेंगे । चुनाव/निर्वाचन होने के पश्चात् नव-निर्वाचित पदाधिकारी/कॉलिजियम/शासकीय निकाय के सदस्य अपना कार्यभार विधिवत संभाल लेंगे ।**

भाग - चार

8. सभा के कॉलिजियम/प्रबंधकारिणी व शासकीय निकाय/कार्यकारिणी की बैठकें :-

8.1.1 जैन सभा के कॉलिजियम/शासकीय निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो, महामंत्री द्वारा बुलाई जाएगी । तथापि, सभा के कॉलिजियम की कम से कम 3 व शासकीय निकाय की 6 बैठक बुलाई जाएगी । जैन सभा की वार्षिक सामान्य बैठक (ए जी एम/सामान्य बैठक) यथा अपेक्षित सभा के किसी अन्य कारोबार के संव्यवहार के अतिरिक्त सभा एवं उनके अंतर्गत संस्थाओं का विधिवत लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों के विचारण तथा अंगीकरण के लिए वित्त वर्ष की समाप्ति के 5 मास यानि 31 अगस्त के भीतर एक वर्ष में बुलाई जाएगी । सभा तथा सभा के अंतर्गत संस्थाओं का लेखा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा ।

8.1.2 प्रबंधकारिणी समिति/कार्यकारिणी समिति/सामान्य विशेष बैठकों के लिए 3 दिन का नोटिस तथा आपातकालीन बैठकों के लिए 24 घंटे का नोटिस/सूचना, सूचना पुस्तिका, UPC डाक या नोटिस संदेशवाहक द्वारा भेजे जा सकते हैं ।

8.1.3 जैन सभा का शासकीय निकाय या तो वह स्वयं या कॉलिजियम के सदस्यों के कम से कम 1/10 से ऐसी बैठक बुलाने के लिए कारणों सहित लिखित मांग जैन सभा के प्रधान/महामंत्री को करेगा । महामंत्री मांग

पत्र प्राप्ति के 15 दिन के भीतर इसके अधीन यथाविहित उचित नोटिस देने के बाद किसी समय पर सभा के कॉलिजियम की असाधारण बैठक बुला सकता है ।

8.1.4 जैन सभा के कॉलिजियम की किसी बैठक के लिए महामंत्री संव्यवहारित किए जाने वाले कारबार के एजेंडे की प्रति, बैठक की तिथि, समय तथा स्थान सहित कम से कम 14 दिन का स्पष्ट नोटिस कॉलिजियम के सदस्यों को दिया जाएगा । ऐसे नोटिस की एक प्रति जिला रजिस्ट्रार को भी पृष्ठांकित की जाएगी ।

8.1.5 जैन सभा कॉलिजियम की बैठक कॉलिजियम के सदस्यों के बहुमत से (कुल सदस्यों का कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक), यदि सहमत हो, महामंत्री द्वारा लघु नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है ।

8.1.6 जैन सभा की सामान्य बैठक/कॉलिजियम की बैठक/शासकीय निकाय की सभी बैठकों की कार्यवाहियां महामंत्री द्वारा प्रयोजन के लिए अलग-अलग रूप से रखी गई कार्यवृत पुस्तक (बांधी गई या खुले पन्नों में) में अभिलिखित की जाएगी तथा ऐसे कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा सभा के महामंत्री द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

8.1.7 जैन सभा के शासकीय निकाय/कार्यकारिणी समिति अलग-अलग संस्थाओं के प्रबंधक की नियुक्ति शासकीय निकाय/कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में से या कॉलिजियम/प्रबंधकारिणी के सदस्यों में से करेंगे ।

8.2 नोट :- कोरम (गणपूर्ति) :-

8.2.1 जैन सभा कॉलिजियम की बैठकों की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 40% होगा यानि 26 सदस्यों की होगा । यदि गणपूर्ति विद्यमान नहीं है तो प्रधान व महामंत्री संयुक्त रूप से स्थगित बैठक दूसरी तिथि के लिए स्थगित करेंगे जिसके लिए उचित नोटिस जारी किया जाएगा । कार्यसूची वही रहेगी । स्थगित बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 20 प्रतिशत से कम नहीं होगी । कॉलिजियम किसी विशेष संकल्प के विचारण के सिवाए ऐसी स्थगित बैठक में सभी कारोबार पूरे करने के लिए सक्षम होगा । कोई विशेष संकल्प केवल ऐसी स्थगित बैठक में पारित किया जाएगा यदि कॉलिजियम के कुल सदस्यों का कम से कम 25% अर्थात् 17 सदस्य उपस्थित हों ।

8.2.2 शासकीय निकाय/कार्यकारिणी समिति की गणपूर्ति कुल/पदाधिकारी सदस्यों का 13 में से 8 सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

9. कॉलिजियम की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य :-

9.1.1 सभा को इसके लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की अवधारणा करने तथा पूरा करने में गाइड करना ।

9.1.2 पॉलिसी मामलों का निर्णय करना जैसेकि सभा के नाम का परिवर्तन, सभा के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों में संशोधन, सभा के वार्षिक लेखों का अनुमोदन, सभा इत्यादि की अचल परिसम्पत्तियों के निपटान के लिए अनुमोदन तथा सभी ऐसे अन्य कार्य जो हरियाणा सभा रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम तथा नियम, 2012 के अधीन अपेक्षित हों ।

9.1.3 जैन सभा के 5 पदाधिकारी एवं शासकीय निकाय के 8 सदस्यों को निर्वाचित करना ।

9.1.4 जैन सभा के पदाधिकारी एवं शासकीय निकाय से किसी सदस्य को हटाना तथा आकस्मिक रिक्ति के विरूद्ध पदाधिकारी एवं शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बनाए रखने के लिए अनुमोदन प्रदान करना ।

भाग - पाँच

10. शासकीय निकाय :-

10.1 संयोजन :- सभा का शासकीय निकाय निम्नानुसार कुल 5 पदाधिकारियों तथा 8 सदस्यों, कुल 13 का होगा।

क) प्रधान

ख) उपप्रधान

ग) महामंत्री

घ) संयुक्त मंत्री

ङ) खजांची/कोषाध्यक्ष

च) जैन सभा के शासकीय निकाय/कॉलिजियम के सदस्यों में से अलग-अलग संस्थाओं के प्रबंधक की नियुक्ति होगी । जैन सभा के शासकीय निकाय/कार्यकारिणी समिति अलग-अलग संस्थाओं के प्रबंधक की नियुक्ति शासकीय निकाय/कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में से या कॉलिजियम/प्रबंधकारिणी के सदस्यों में से करेंगे ।

नोट :- पदाधिकारी एवं शासकीय निकाय का निर्वाचन/चयन प्रक्रिया नियम 7.4 पर देखें ।

10.2 शासकीय निकाय की किसी आकस्मिक रिक्त को भरना :-

10.2.1 कॉलिजियम के किसी सदस्य के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण या अन्य कारण से उत्पन्न कोई रिक्त स्थान, सभा की आगामी त्रिवार्षिक सामान्य बैठक करने तक तदर्थ आधार पर आजीवन सदस्यों में से, यदि अपेक्षित हो, कॉलिजियम द्वारा भरी जा सकती है ।

10.2.2 शासकीय निकाय के किसी पदाधिकारी/सदस्य के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण या अन्य कारण से उत्पन्न कोई रिक्त सभा की आगामी त्रिवार्षिक सामान्य बैठक करने तक तदर्थ आधार पर सभा/कॉलिजियम के सदस्यों में से, यदि अपेक्षित हो, कॉलिजियम द्वारा भरी जा सकती है ।

10.2.3 जैन सभा के पदाधिकारी या कॉलिजियम/शासकीय निकाय के सदस्यगणों का त्यागपत्र आने पर स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय त्यागपत्र प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर-अंदर करना होगा । यदि पदाधिकारी/ कॉलिजियम/शासकीय निकाय के सदस्य का त्यागपत्र आता है तो उसका निर्णय कॉलिजियम करेगी और संस्था प्रबंध के त्याग-पत्र का निर्णय संबंधित शासकीय निकाय करेगी तथा त्यागपत्र को स्वीकृत होने पर कॉलिजियम/शासकीय निकाय क्रमशः रिक्त स्थानों की पूर्ति करेगी । जब तक त्यागपत्र मंजूर नहीं होता, वही कॉलिजियम/शासकीय निकाय का सदस्य बना रहेगा ।

10.3 शासकीय निकाय की बैठक :-

10.3.1 शासकीय निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो, महामंत्री प्रधान की सलाह से (प्रधान को लिखित सूचना देकर) बुलाई जाएगी । तथापि, शासकीय निकाय प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा तथा एक वित्त वर्ष में शासकीय निकाय की कम से कम चार बैठक होंगी ।

10.3.2 प्रत्येक ऐसी बैठक का तीन दिन का स्पष्ट नोटिस बैठक के लिए नियत तिथि से पूर्व पदाधिकारियों तथा सदस्यों को शासकीय निकाय के महासचिव द्वारा किया जाएगा । तथापि, शासकीय निकाय इसके सदस्यों के कम

से कम 50 प्रतिशत की सहमति से, जब कभी ऐसा अपेक्षित हो, लघु नोटिस पर बैठक कर सकता है ।

10.3.3 शासकीय निकाय की बैठक की गणपूर्ति अधिकतम 13 सदस्यों के अध्यधीन शासकीय निकाय के कुल सदस्यों के कम से कम 61 प्रतिशत से होगी । यदि गणपूर्ति विद्यमान नहीं है, तो प्रधान व महामंत्री संयुक्त रूप से बैठक दूसरी तिथि के लिए स्थगित करेंगे जिसके लिए उचित नोटिस जारी किया जाएगा । अधिकतम 8 सदस्यों के अध्यधीन बैठक में उपस्थित सदस्य स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे ।

10.3.4 शासकीय निकाय की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियाँ इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप में रखी गई कार्यवाही पुस्तक में अभिलिखित की जाएंगी । ऐसे कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा सभा के महामंत्री द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे । यदि अध्यक्ष या महामंत्री कार्यवृत हस्ताक्षर करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो वे शासकीय निकाय द्वारा यथा प्राधिकृत बैठक में उपस्थित किन्हीं दो सदस्यों में जो अध्यक्षता करे और जो कार्यवाही लिखे, उनके द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

10.4 शासकीय निकाय की शक्तियाँ, कृत्य तथा कर्तव्य :-

10.4.1 शासकीय निकाय सभा/संस्थाओं के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेवार होगा तथा सभा/संस्थाओं के सर्वोत्तम हित में कार्य करेगा, जिसके लिए इसे कथित उद्देश्यों के लिए सभा की निधियों तथा परिसम्पत्तियां के फैलाव के लिए सशक्त किया जाएगा ।

10.4.2 शासकीय निकाय, इस द्वारा यथा निर्णीत इसके नाम से निधियाँ उठाने तथा पूर्णस्वामित्व या पट्टा आधार पर चल तथा अचल सम्पत्ति के लिए सक्षम होगा ।

10.4.3 शासकीय निकाय सभा/संस्थाओं से संबंधित या में निहित सभी अचल सम्पत्तियों तथा चल परिसम्पत्तियों का सम्पूर्ण प्रभार रखेगा तथा इन्हें ऐसी रीति में प्रबंधित करेगा जैसा यह सभा के कॉलिजियम के सम्पूर्ण नियंत्रण तथा निर्देशन के अध्यधीन उचित समझे ।

10.4.4 शासकीय निकाय रीति जो यह सभा/संस्थाओं के सर्वोत्तम हित में उचित समझे, में निधियाँ निवेश करने के लिए सक्षम होगा तथा यह निर्णीत रीति में सभा/संस्थाओं की ओर से सम्पत्तियाँ उधार लेने या गिरवी रखने या बंधक रखने के लिए सक्षम होगा ।

10.4.5 सीविनहीन रीति में लिपकीय, लेखा तथा अन्य कृत्यों की देखभाल करने के लिए सभा/संस्थाओं के नियमित या अंशकालिक कर्मचारियों को लगाने के लिए प्रबंध सृजित करना ।

10.4.6 बाहरी स्रोत से कतिपय कृत्य करना अर्थात् सभा के परिसरों की सफाई, सुरक्षा तथा समरूप अन्य रखरखाव गतिविधियां ।

10.5 उपसमिति :-

10.5.1 सभा की कॉलिजियम व शासकीय निकाय को यह अधिकार होगा कि वह सभा/संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपसमितियों का गठन करे, उनके संयोजकों और सदस्यों को मनोनीत करे । विशेष परिस्थितियों में सभा/संस्था के हित में या किन्हीं जाँच के सिलसिले में भी उपसमिति का गठन कर सकती है ।

10.5.2 इस प्रकार गठित उपसमितियों के कार्य अधिकारी/संयोजक कहलाएंगे । यह संयोजक सभा/कॉलिजियम/शासकीय निकाय के सदस्य ही होंगे । संयोजक अपनी उपसमिति के सदस्यों के सहयोग तथा मंत्रणा के अनुसार अपना कार्य करेंगे । संयोजक ही उपसमितियों की बैठक आमंत्रित करेंगे तथा उनका संचालन करेंगे ।

10.5.3 सभा/संस्था की उपसमितियों में परिवर्तन तथा उन्हें समाप्त करने का अधिकार भी उसी प्रकार क्रमशः होगा जिन्होंने उपसमिति को गठित किया है ।

10.5.4 जैन सभा/कॉलिजियम/शासकीय निकाय की बैठक या विशेष परिस्थिति में प्रधान अथवा महामंत्री या प्रधान व महामंत्री संयुक्त रूप से उपसमिति का गठन कर सकते हैं । उसमें प्रधान अथवा महामंत्री (दोनों पदाधिकारी) तथा संस्था संबंधित उपसमिति में संस्था प्रबंधक, उपसमितियाँ में पदाधिकारेण सदस्य (Ex. Officio Members) होंगे । उन्हें उपसमिति की सभी बैठकों में बुलाना अनिवार्य होगा । प्रधान अथवा महामंत्री या संस्था संबंधित विषय पर संस्था प्रबंधक (यदि प्रबंधक किसी उपसमिति में सदस्य है और उस संस्था संबंधित विषय नहीं है तो उसे अपनी व्यवस्था देने का अधिकार नहीं होगा) उपसमिति की बैठकों में किसी विषय पर असहमति होने पर वह उस विषय में अपनी व्यवस्था देंगे । यदि उपसमिति की असहमति होने पर उस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं होगी और उस विषय को शासकीय निकाय या कॉलिजियम की बैठक में लाकर उसके निर्णयानुसार कार्यवाही होगी । (प्रधान अथवा महामंत्री में से एक की असहमति होने पर, और संस्था संबंधित विषय पर प्रबंधक की असहमति होने पर) उस विषय को शासकीय निकाय या कॉलिजियम में लाया जाएगा ।

10.5.5 संयोजक ही उपसमितियों का संचालन करेगा । उपसमिति का निर्णय बहुमत से किया जाएगा । परन्तु रिपोर्ट में पूर्ण जानकारी जरूरी देनी होगी कि जो उपसमिति के सदस्य उस निर्णय पर सहमत नहीं है । वह उनके विचार भी बतलाएं जाएं उस अवस्था में जिन्होंने जो क्रमशः उपसमिति गठित की गई है वह निर्णय लेगी ।

10.5.6 जैन सभा या संस्थाओं के अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग उपसमितियों का गठन किया जाएगा जो निम्न हैं :- भवन निर्माण, भवन मरम्मत/रिपेयर/रंग-रोगन, समान खरीद (क्रय), समान बेचना (विक्रय), सभा/संस्थाओं में नियमित (स्थाई) नियुक्ति या अंशकालिक (अस्थाई) स्टाफ/कर्मचारी की नियुक्ति, फीस माफी, खेलकूद, उत्सव आयोजन, भगवान महावीर जयन्ती महोत्सव, संस्था फाऊण्डेशन महोत्सव, आजीवन सदस्यता व आजीवन सदस्य शुद्धिकरण, जाँच-पड़ताल समिति एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए उपसमिति का गठन एवं समापन सभा/कॉलिजियम/शासकीय निकाय की बैठक या विशेष परिस्थिति में प्रधान अथवा महामंत्री या प्रधान व महामंत्री संयुक्त रूप के द्वारा होगा । सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थाओं में हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षा नियमावली अनुसार स्थाई नियुक्ति करने या पदमुक्ति करने के लिए उपसमिति का गठन किया जाएगा । जैन सभा व संस्थाओं का अस्थाई स्टाफ/कर्मचारी की पदमुक्ति प्रधान अथवा महामंत्री और संस्था प्रबंधक कोई एक या संयुक्त रूप से समयानुसार या अनुशासनात्मक कार्यवाही पर कर सकता है। उपसमिति का कार्य अधिकारी/संयोजक व सदस्य का मनोनयन/चयन, पदाधिकारीगण, कॉलिजियम/शासकीय निकाय में से ही करना आवश्यक होगा । (एक या एक से अधिक उपसमितियों में किसी भी सदस्य को शामिल किया जा सकता है) विशेष परिस्थितियों में सभा के आजीवन सदस्यों में से कार्य अधिकारी/संयोजक व सदस्य का मनोनयन/चयन किया जा सकता है । संस्था संबंधित उपसमिति में मनोनयन/चयन करने पर संस्था प्रबंधक से सलाह ली जाए ताकि मिलजुल कर कार्य हो सके । कार्य अधिकारी/संयोजक प्रधान अथवा महामंत्री और संस्था संबंधित में संस्था प्रबंधक के निर्देशन में रहकर कार्य करेंगे । समय-समय पर उनसे मार्गदर्शन/सलाह लेंगे । उपसमितियों का गठन एवं समापन आवश्यकतानुसार किया जाएगा । उपसमितियों की संख्या पदाधिकारेण सदस्य (Ex. Officio Members) व कार्य अधिकारी/संयोजक सहित, 11 से अधिक नहीं होनी चाहिए । कार्य अधि

Rajeev

कारी/संयोजक, सभा के प्रधान या महामंत्री भी बन सकते हैं ।

10.5.7 उपसमिति को अपनी रिपोर्ट संबंधित समिति को निश्चित अवधि में देनी होगी ।

10.5.8 जैन सभा/संस्था के संबंधित कार्यों के लिए अलग-अलग उपसमितियाँ बनाई जाएंगी तथा वही उपसमितियाँ उन्हीं कार्यों के प्रति उत्तरदायी होगी ।

10.5.9 गठित उपसमिति द्वारा (क्रय) समान खरीद व (विक्रय) समान बिक्री पर प्रधान और महामंत्री व कोषाध्यक्ष तथा संस्था प्रबंधक एवं उपसमिति कार्य अधिकारी/संयोजक द्वारा प्रत्येक बिल/वाऊचर पास कर अपने हस्ताक्षरित किए जाएंगे । इसके अतिरिक्त कॉलिजियम/शासकीय निकाय व उपसमिति की मीटिंग के निर्णयानुसार सदस्यगण द्वारा भी प्रत्येक बिल/वाऊचर पास कर अपने हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

भाग - छः

11. शासकीय निकाय के व्यक्तिगत सदस्यों की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य :-

11.1 प्रधान :-

11.1.1 उसकी तरफ सभा अथवा किसी भी संस्था का कोई चन्दा व किसी भी प्रकार का धन बकाया न हो ।

11.1.2 कॉलिजियम/प्रबंधकारिणी की तथा शासकीय निकाय/कार्यकारिणी समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाहियां नियंत्रित करना ।

11.1.3 सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा समय-समय पर कॉलिजियम/प्रबंधकारिणी तथा/या शासकीय निकाय/कार्यकारिणी समिति द्वारा प्राधिकृत किया जाए ।

11.1.4 वह बैठकों के लिए निर्धारित कार्यसूची के अतिरिक्त किसी भी विषय पर विचार-विमर्श करने की अनुमति दे सकता है ।

11.1.5 उसे विचार-विमर्श के बाद अपनी व्यवस्था देने, मतदान करवाने, किसी भी विषय को स्थगित करने का अधिकार होगा । यदि किसी भी विषय के पक्ष तथा विपक्ष में बराबर-बराबर मत पड़ते हैं तो उसे अपने विशेष वोट के द्वारा विषय का निर्णय करने का अधिकार होगा ।

11.1.6 उसे सभा अथवा किसी भी संस्था का निरीक्षण करने तथा जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा । महामंत्री/संस्थाओं के प्रबंधक/मुखिया समय-समय पर उन्हें विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे ।

11.1.7 उसे सभा व सभा द्वारा संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों को समुचित निर्देश देने का अधिकार होगा ।

11.1.8 कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार होगा । उचित समझे तो महामंत्री तथा संबंधित प्रबंधक से परामर्श कर सकता है ।

11.1.9 उसे सभा, प्रबंधकारिणी समिति, कार्यकारिणी समिति के निर्णय के अनुसार कोई भी राशि खर्च करने का अधिकार होगा, इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक रूप से वह दस हजार (10000/-) रूपए तक खर्च कर सकेगा । सभा/संस्था के प्रत्येक बिल पर हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

11.1.10 किसी संस्था के प्रबंधक द्वारा विशेष खर्च के लिए अपना बजट या मांग पत्र आने पर आवश्यकतानुसार सभा के महामंत्री की सलाह से (संयुक्त रूप से) वह राशि संस्था के खाते में स्थानांतरित कराएंगे ।

11.1.11 सभा के प्रधान या महामंत्री शासकीय निकाय की बैठकों में किसी विषय पर असहमति होने पर वे अपनी व्यवस्था देंगे । यदि शासकीय निकाय की असहमति होने पर उस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं होगी और उस विषय को कॉलिजियम की बैठक में लाकर उसे निर्णयानुसार कार्यवाही होगी । (प्रधान अथवा महामंत्री

में से एक की असहमति होने पर भी उस विषय को कॉलिजियम में लाया जाएगा।)

11.1.12 सभा के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की सम्पूर्ण गतिविधियों/उपलब्धियों का पर्यवेक्षण तथा गाइड करना ।

11.1.13 हरियाणा सभा रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करना ।

11.2 उप-प्रधान :-

11.2.1 उसकी तरफ सभा अथवा किसी भी संस्था का कोई चन्दा व किसी भी प्रकार का धन बकाया न हो ।

11.2.2 प्रधान को उसके कर्तव्यों को करने में सहायता करना ।

11.2.3 प्रधान की अनुपस्थित में उसकी ओर से कार्य करना तथा प्रधान के सभी कर्तव्यों को पूरा करना तथा सभी शक्तियों का प्रयोग करना ।

11.2.4 सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा कॉलिजियम/शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए ।

11.2.5 सभा या कॉलिजियम/शासकीय निकाय/W.C. के उचित या पारदर्शी कृत्य करना सुनिश्चित करना ।

11.2.6 हरियाणा सभा रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करना ।

11.3 महामंत्री/महासचिव :-

11.3.1 उसकी तरफ सभा अथवा किसी भी संस्था का कोई चन्दा व किसी भी प्रकार का धन बकाया न हो ।

11.3.2 सभा/संस्थाओं के सभी कार्यों को करना, संघटित करना, पर्यवेक्षण तथा प्रबंध करना तथा सभा/संस्थाओं के कार्य के लिए सभी ऐसे कार्य करना तथा सभी ऐसे कर्तव्य पूरे करना जो प्रधान/शासकीय निकाय द्वारा सौंपे जाएं ।

11.3.3 शासकीय निकाय के सम्मुख सभा की सदस्यता के लिए आवेदन प्राप्त करना संविक्षा करना तथा रखना तथा सदस्य का नाम उसके आधक्षर के अधीन सदस्यों के रजिस्टर, यदि अनुमोदित हो, दर्ज करना तथा उसके बारे में सदस्यों को सूचित करना तथा इस प्रकार शामिल किए गए सदस्यों का पहचान पत्र जारी करना ।

11.3.4 प्रधान की सलाह से (प्रधान को लिखित सूचना देकर) जैन सभा की सामान्य बैठक/कॉलिजियम तथा शासकीय निकाय की बैठकें आयोजित करना तथा इन उपविधियों के अधीन यथा विहित उचित नोटिस शामिल करना। यानि कार्यसूचना भेजना और दिन, समय तथा स्थान निर्धारित करना ।

11.3.5 सरकार अथवा संबंधित लोगों से पत्र व्यवहार करना ।

11.3.6 सभा और संस्थाओं की ओर से किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर कानूनी कार्यवाही करना तथा सभा और संस्थाओं पर किए गए केसों के लिए प्रधान की सलाह के अनुसार कानूनी कार्यवाही करना । यह कार्यवाही करने से पहले या बाद में 15 दिन के अंदर-अंदर शासकीय निकाय में लाए।

11.3.7 कॉलिजियम तथा शासकीय निकाय की सभी बैठकों में हाजिर होना तथा सभी बैठकों की कार्यवाहियों का रिकार्ड करना ।

11.3.8 सभा/संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा वार्षिक सामान्य बैठक में कॉलिजियम के सम्मुख उसे रखने के लिए, अनुमोदन के लिए, सभा/संस्थाओं के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों सहित शासकीय निकाय के सम्मुख उसे रखना ।

11.3.9 सभा/शासकीय निकाय का रिकार्ड रखना तथा परिरक्षण करना ।

11.3.10 सभा/संस्थाओं के सम्पूर्ण कार्यों की देखभाल करने में तथा सभा के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रधान से सहायता तथा सहयोग लेना ।

Rajesh

11.3.11 सभा की सामान्य मोहर की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए अभिरक्षक होना तथा शासकीय निकाय के अनुमोदन के अनुसार, जहां कही अपेक्षित हो, उसे लगाना ।

11.3.12 सभा/शासकीय निकाय की ओर से पत्राचार करना तथा उसकी ओर से पत्रों तथा कागजों पर हस्ताक्षर करना तथा सुनिश्चित करना कि सभी वैधानिक रजिस्टरों तथा रिकार्डों को उचित रूप से रखें तथा अनुरक्षित किए जा रहे हैं ।

11.3.13 निर्वाचन तथा वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि की घोषणा से पूर्व मत के लिए पात्र सदस्यों की सूची तैयार विधिवत अद्यतन करना तथा शासकीय निकाय व कॉलिजियम के सम्मुख इसे रखना ।

11.3.14 सभा/संस्थाओं के सभी कार्यक्रमो के प्रशासन तथा निष्पादन के सम्पूर्ण प्रभारी के रूप में कार्य करना/जिसमें पदों का सृजन वेतन/पारिश्रमिक/भत्तों इत्यादि का नियतन अमले की नियुक्तियां करने/लगाने, खरीद करने सहित कॉलिजियम/शासकीय निकाय की ओर से वित्तीय कार्य शामिल है तथा सभी अन्य ऐसे कार्य करना जो समय-समय पर कॉलिजियम/शासकीय निकाय द्वारा प्रत्यायोजन के अनुसार सभा के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रोत्साहन में आवश्यक हो तथा जहां कोई भी ऐसा प्रत्यायोजन सभा के प्रधान व संस्था के प्रबंधक के परामर्श से विशिष्ट रूप से किया जाएगा ।

11.3.15 संस्थाओं के कार्यों, हिसाब-किताब व आवश्यक रिकार्ड का निरीक्षण करना ।

11.3.16 सभा तथा संस्थाओं के कर्मचारियों को उचित निर्देश देना ।

11.3.17 संस्थाओं के प्रबंधक/मुखिया समय-समय पर उन्हें विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे । जैन सभा एवं सभी संस्थाओं का हिसाब-किताब संयुक्त रूप से तैयार करवाना, आडिट करवाना तथा वार्षिक बैठकों में प्रस्तुत करना ।

11.3.18 उसे जैन सभा एवं अंतर्गत संस्थाओं का अलग-अलग प्रत्येक वित्त वर्ष के लेखों की लेखा परीक्षा (आडिट) करवाकर जैन सभा/संस्थाओं का संयुक्त लेखा-जोखा (आय-व्यय, बैलेन्स शीट) तैयार करवाकर लेखा परीक्षा (आडिट) करवाकर आयकर विवरणी (इन्कम टैक्स रिटर्न) दाखिल करेगा ।

11.3.19 उसे सभा व सभा द्वारा द्वारा संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार होगा । उचित समझे तो प्रधान तथा संबंधित प्रबंधक से परामर्श कर सकता है ।

11.3.20 उसे सभा, प्रबंधकारिणी समिति, कार्यकारिणी समिति के निर्णय के अनुसार कोई भी राशि खर्च करने का अधिकार होगा । इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक रूप से वह दस हजार रूपये (10000/-) तक खर्च कर सकेगा । सभा/संस्था के प्रत्येक बिल पास कर हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

11.3.21 प्रत्येक संस्था के प्रबंधक विशेष खर्च के लिए अपना बजट या मांग पत्र आने पर आवश्यकतानुसार सभा के प्रधान की सलाह से संयुक्त रूप से महामंत्री वह राशि संस्था के बैंक खाते में स्थानांतरित कराएंगे ।

11.3.22 सभा के प्रधान या महामंत्री शासकीय निकाय की बैठकों में किसी विषय पर असहमति होने पर वे अपनी व्यवस्था देंगे । यदि शासकीय निकाय की असहमति होने पर उस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं होगी और उस विषय को कॉलिजियम की बैठक में लाकर उसे निर्णयानुसार कार्यवाही होगी । (प्रधान अथवा महामंत्री में से एक की असहमति होने पर भी उस विषय को कॉलिजियम में लाया जाएगा ।)

11.3.23 सभा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की सम्पूर्ण गतिविधियों/उपलब्धियों का पर्यवेक्षण तथा गाइड करना ।

11.3.24 जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में सभी वैधानिक विवरणी/दस्तावेजों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारों को समय पर दायर करना जो हरियाणा सभा रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित किए जाएं ।

11.4 संयुक्त सचिव :-

11.4.1 उसकी तरफ सभा अथवा किसी भी संस्था का कोई चन्दा व किसी भी प्रकार का धन बकाया न हो ।

11.4.2 सभा के महामंत्री की उसके कृत्यों तथा कर्तव्यों को करने में सहायता करना ।

11.4.3 शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत सीमा तक उसकी अनुपस्थित में सभा के महामंत्री के कृत्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करना ।

11.4.4 ऐसे कृत्यों तथा कर्तव्यों की देखभाल करना तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जो समय-समय पर सभा के शासकीय निकाय द्वारा उसे सौंपे तथा प्रत्यायोजित किए जाएं ।

11.5 खजांची/कोषाध्यक्ष :-

11.5.1 उसकी तरफ सभा अथवा किसी भी संस्था का कोई चन्दा व किसी भी प्रकार का धन बकाया न हो ।

11.5.2 सभा के महामंत्री की उसके कृत्यों तथा कर्तव्यों को करने में सहायता करना ।

11.5.3 सभा के सभी वित्तीय संव्यवहारों तथा सभा द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गई सभी राशियों के लेखे महामंत्री के माध्यम से रखना तथा दात्यिवों की प्राप्तियों तथा खर्चों के रिकार्ड रखना। सभा/संस्था के प्रत्येक बिल/वाऊचर पास कर हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

11.5.4 वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम एक मास पूर्व सभा के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखें महामंत्री के माध्यम से शासकीय निकाय को प्रस्तुत करना ।

11.5.5 महामंत्री के माध्यम से सभा के सभी लेखों, पुस्तकों, वित्तीय, विवरणी, रसीद पुस्तकों व्यय वाउचरों, बैंक पासबुक तथा चैक बुक, नकदी इत्यादि के सम्पूर्ण अभिरक्षक के रूप में कार्य करना तथा संस्थाओं के लेखा पुस्तकों का रिकार्ड संबंधित प्रबंधक के माध्यम से निरीक्षण कर सकता है ।

11.6 संस्था प्रबंधक :-

11.6.1 उसकी तरफ सभा अथवा किसी भी संस्था का कोई चन्दा व किसी भी प्रकार का धन बकाया न हो ।

11.6.2 संस्थाओं के प्रबंधक सभा के महामंत्री की अभिरक्षा में किसी भी कार्य का निष्पादन करेंगे ।

11.6.3 सरकार अथवा संबंधित लोगों से पत्र व्यवहार करना ।

11.6.4 संस्था की ओर से किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर महामंत्री के साथ संयुक्त रूप से कानूनी कार्यवाही करना ।

11.6.5 संस्था के कार्यों, हिसाब-किताब व आवश्यक रिकार्ड का निरीक्षण करना ।

11.6.6 संस्था के कर्मचारियों को उचित निर्देश देना ।

11.6.7 संस्था के मुखिया समय-समय पर उन्हें विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे । संस्था का हिसाब-किताब तैयार करवाना और महामंत्री के द्वारा आडिट करवाने में सहायता करना तथा वार्षिक बैठकों में महामंत्री के माध्यम से प्रस्तुत करना ।

11.6.8 उसे संस्था के कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार प्रधान और महामंत्री से परामर्श करने के उपरांत होगा ।

11.6.9 प्रत्येक प्रबंधक संस्था के दैनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा ।

11.6.10 प्रबंधक संस्था के प्रिंसीपल, मुख्याध्यापक/हकीम के माध्यम से संस्था के प्रशासन का संचालन करेंगे। समय-समय पर संस्था के कार्यों, गतिविधियों, रिकार्ड तथा बही खातों का निरीक्षण करेंगे ।

11.6.11 प्रत्येक मास अपनी-अपनी संस्था की आर्थिक स्थिति के बारे में सभा के प्रधान अथवा महामंत्री को लिखित रूप से सूचना भेजेंगे । (कॉलिजियम/शासकीय निकाय के प्रारूप अनुसार)

11.6.12 प्रबंधक को जो समस्याएं आएंगी, वे उन्हें प्रधान व महामंत्री के समक्ष रखते हुए संस्था की प्रगति, त्रुटियों व उपलब्धियों का विवरण भी देंगे ।

Rajesh

11.6.13 प्रबंधक शासकीय निकाय तथा कॉलिजियम व आम सभा में प्रस्तुत करने हेतु अपनी-अपनी संस्था की रिपोर्ट तैयार करके भिजवाएंगे । यह रिपोर्ट संबंधित मीटिंग से पंद्रह दिन पूर्व महामंत्री के पास पहुंच जानी चाहिए ।

11.6.14 प्रबंधक को कार्यकारिणी समिति/शासकीय निकाय के प्रस्तावों के अतिरिक्त (5000/-) पांच हजार रूपए खर्च करने का अधिकार होगा । संस्था के प्रत्येक बिल पास कर हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

11.6.15 यदि किसी संस्था के प्रबंधक को दस दिनों या अधिक दिनों केलिए बाहर जाना पड़ जाए तो महामंत्री उस संस्था का प्रबंध देखेंगे ।

11.6.16 संस्था के सभी वित्तीय संव्यवहारों तथा सभा द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गई सभी राशियों एवं संस्थाओं के रिकार्ड महामंत्री की अभिरक्षा में संस्था प्रबंधक व संस्था मुखिया रखेंगे ।

11.6.17 शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुदान प्रबंधक के माध्यम से विद्यालय मुखिया बैंक खाते में जमा कराएगा ।

11.6.18 जैन सभा प्रधान व महामंत्री तथा संस्था प्रबंधक अनुदान प्राप्त कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, हरियाणा शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार ही करेगा तथा अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रधान व महामंत्री तथा संस्था प्रबंधक, कॉलिजियम/शासकीय निकाय द्वारा निश्चित नियमों के अनुसार करेंगे ।

11.6.19 संस्था के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की सम्पूर्ण गतिविधियों/उपलब्धियों का पर्यवेक्षण तथा गाइड करना ।

12. शासकीय निकाय के सदस्यों की समाप्ति :- शासकीय निकाय के पदाधिकारी/कार्यकारी सदस्य के रूप में नहीं रहेंगे -

12.1.1 उसके त्यागपत्र प्रस्तुत करने पर तथा स्वीकृति पर ।

12.1.2 यदि वह इन उपविधियों के खण्ड 4 के उपखण्ड (8) के अनुसार सदस्य के रूप में नहीं रहा है ।

12.1.3 यदि उसे कॉलिजियम की बैठक में पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है ।

12.1.4 संस्था के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की सम्पूर्ण गतिविधियों/उपलब्धियों का पर्यवेक्षण तथा गाइड करना ।

12.2 अविश्वास मत :-

जैन सभा (रजि.) रोहतक के पाँच पदाधिकारियों के खिलाफ़ कॉलिजियम/प्रबंधकारिणी समिति की बुलाई गई इस उद्देश्य के लिए विशेष मीटिंग में प्रबंधकारिणी समिति/कॉलिजियम के 49 सदस्यों की स्वीकृति/बहुमत से होगा अर्थात् यदि विशेष मीटिंग में उपस्थित 49 (उनचास) प्रबंधकारिणी/कॉलिजियम के सदस्य चाहेंगे तो अविश्वास मत होगा अन्यथा नहीं । पदाधिकारियों के विरूद्ध अविश्वास मत संबंधी कार्यवाही कॉलिजियम/प्रबंधकारिणी समिति के 22 (बाईस) सदस्यों (1/3 सदस्यों) की लिखित शिकायत आने पर ही की जा सकती है । जिन सदस्यों ने किसी भी पदाधिकारी के विरूद्ध जो शिकायत/आरोप लगाया है उसके गलत सिद्ध हो जाने पर उन सदस्यों को दंडित किया जा सकेगा । किसी भी पदाधिकारी के विरूद्ध अविश्वास मत की कार्यवाही करने से पूर्व उसको लिखित रूप में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा ।

13. सभा के नियोजन से अपवर्जन :-

13.1.1 सभा/संस्था का कोई भी सदस्य सभा के पूर्ण कालिक या अंशकालिक नियोजन में नहीं रहेगा ।

13.1.2 शासकीय निकाय के पदाधिकारी तथा सदस्यों का कोई भी आश्रित या पारिवारिक सदस्य या निकट संबंधी उसकी अवधि के दौरान सभा के कर्मचारी के रूप में नहीं लगाया जाएगा ।

13.1.3 शासकीय निकाय का प्रत्येक पदाधिकारी तथा सदस्य घोषणा करेगा यदि सभा के नियोजन में कोई व्यक्ति उसका निकट संबंधी है ।

14. सभा का संगम ज्ञापन उपविधियों तथा नाम इत्यादि में संशोधन :-

14.1.1 सभा के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों, या नाम का परिवर्तन, समामेलन या विभाजन में कोई संशोधन विशेष संकल्प के द्वारा केवल कॉलिजियम के अनुमोदन से ही किया जाएगा । अपेक्षित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति सहित किसी ऐसे संशोधन या परिवर्तन की सूचना ऐसे समय के भीतर महामंत्री द्वारा जिला रजिस्टार के कार्यालय में दायर की जाएगी जो हरियाणा सभा रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित की जाए ।

14.1.2 जैन सभा के अंतर्गत संस्थाओं पर सभा/कॉलिजियम/शासकीय निकाय के सदस्य/पदाधिकारियों के नाम का शिलालेख (पत्थर) नहीं लगाया जाएगा । यदि सभा/कॉलिजियम/शासकीय निकाय के सदस्य संस्थाओं में दान देते हैं तो उनके नाम का शिलालेख (पत्थर) लगाया जाएगा लेकिन सभा में किस पद पर हैं, अंकित नहीं किया जाएगा ।

14.1.3 जैन सभा की शासकीय निकाय/कार्यकारिणी समिति अपने उपनियम इसी उद्देश्य से बुलाई गई शासकीय निकाय की बैठक में बनाएगी और उसकी पुष्टि कॉलिजियम/प्रबंधकारिणी समिति में कराकर आगामी सामान्य बैठक में अनिवार्य रूप से करवाएगी और पारित होने पर वह नियम लागू हो जाएगा ।

14.1.4 जैन सभा के 65 कॉलिजियम के चुनाव होते ही नए कॉलिजियम के 5 पदाधिकारियों सहित शासकीय निकाय के 8 सदस्यों का कुल 13 का चुनाव करेंगे । शासकीय निकाय के पदाधिकारी व सदस्यगण संस्थाओं के प्रबंधक का चयन, यदि चाहे तो करेंगे। लेकिन चुनाव/चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक पुराने पदाधिकारी कार्यवाहक के रूप में कार्यरत रहेंगे । उन्हें सभी कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा । नए पदाधिकारियों का निर्वाचन होने पर पुराने पदाधिकारी अपना कार्यभार छोड़ देंगे और नए पदाधिकारी अपना कार्यभार संभाल लेंगे । इस स्थिति में संस्थाओं के कर्मचारी नए पदाधिकारियों के आदेश मानने के लिए पूर्णतया बाध्य होंगे ।

15. सभा की परिसम्पत्ति तथा निधियों का प्रबंधन :-

15.1.1 सभा/संस्थाओं के आय के स्रोतों में आजीवन सदस्यता फीस, सम्पत्ति/परिसम्पत्ति से किराया, ब्याज परामर्श फीस, दान, उपहार अनुदान इत्यादि के मदें प्राप्तियां शामिल होंगी । सभा इसके सदस्यों से ब्याज मुक्त लघु अवधि कर्ज के द्वारा या ब्याज पर अनुसूचित बैंक से भी निधियां ले सकती हैं । ब्याज पर अनुसूचित बैंक से कर्ज केवल पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन की खरीद के लिए लेगी तथा न कि किन्हीं परिस्थितियों के अधीन किसी आवती राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए होगी ।

15.1.2 शासकीय निकाय वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान जैन सभा एवं अंतर्गत संस्थाओं का अनुमानित आय तथा पूंजीगत तथा राजस्व खर्चके आधार पर सभा का वार्षिक बजट तैयार करेगा तथा अनुमोदन करेगा तथा सूचना के के लिए वार्षिक सामान्य बैठक में कॉलिजियम के सम्मुख उसकी एक प्रति भी रखेगा ।

15.1.3 जैन सभा/संस्थाओं के बैंक लेखे ऐसे सदस्यों/पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किए जाएंगे जो समय-समय पर शासकीय निकाय द्वारा निर्णीत किया जाए ।

15.1.4 जैन सभा की सभी परिसम्पत्ति तथा निधियां सभा से संबंधित होगी तथा सभा में निहित होंगी ।

15.1.5 जैन सभा/संस्थाओं की सभी प्राप्तियां तथा भुगतान बैंक दस्तावेजों के माध्यम से किए जाएंगे (अर्थात् डी.डी./पे आर्डर/चैक/बैंक ट्रांसफर/आर.टी.जी.एस.) जिसमें सदस्यों से सदस्यता फीस सभी प्राप्तियां शामिल हैं। तथापि शासकीय निकाय वित्तीय संव्यवहार की सीमाएं अवधारित कर सकता है जो कतिपय अन्य मामलों में नकद में की जा सकती है ।

15.1.6 जैन सभा कॉलिजियम तथा शासकीय निकाय में विचार-विमर्श की भाषा हिन्दी होगी । सभी मीटिंग की

कार्यवाही आय-व्यय का ब्यौरा हिन्दी में ही प्रस्तुत होगा ।

15.1.7 जैन सभा अथवा संस्थाओं के भवन, सामाजिक, धार्मिक व कल्याणकारी कार्यों के लिए संबंधित प्रबंधक के द्वारा प्रधान/महामंत्री की सलाह से दिए जाएंगे ।

15.1.8 जैन सभा के अंतर्गत संस्थाओं के भवन निजी कार्यों के लिए दिए जाएं तो शासकीय निकाय द्वारा निधारित शुल्क लेकर ही संबंधित प्रबंधक के द्वारा दिए जाएं और विवाह व पार्टियों के लिए न दिए जाएं । किसी विशेष परिस्थितियों में देने पर प्रधान/महामंत्री की सलाह से दिए जाएंगे ।

16. बैंक संचालन :-

16.1.1 जैन सभा के बैंक खातों का संचालन पदाधिकारी प्रधान व महामंत्री तथा कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा । सभा के अंतर्गत संस्थाओं के बैंक खाते का संचालन सभा प्रधान तथा महामंत्री एवं संस्था प्रबंधक में से कोई दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा । उपरोक्त खातों के संचालन में प्रधान के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होगा, कर्मचारियों के वेतन पर प्रधान तथा महामंत्री व प्रबंधक में से कोई दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा । इसके अतिरिक्त शासकीय निकाय की मीटिंग के प्रस्तावानुसार लेन-देन हो सकता है । संबंधित बैंक नए पदाधिकारियों के चयन होने पर उनके खातों का संचालन करने के लिए बाध्य होगा ।

जैन सभा तथा जैन सभा द्वारा संचालित चारों संस्थाओं के बैंक खातों का संचालन, संविधान संशोधन अनुसार, बैंक में संचालन लेन-देन होगा ।

16.1.2 जैन सभा व उसके अंतर्गत संस्थाओं के प्रत्येक बिल/वाऊचर/वेतन देने से पूर्व प्रधान तथा महामंत्री एवं संस्था प्रबंधक के द्वारा बिल पास होने के उपरांत भुगतान किया जाएगा । आकस्मिक अवस्था में 20,000 रूपये (बीस हजार रूपये) तक महामंत्री/प्रबंधक भुगतान कर सकते हैं परंतु 10 दिन के भीतर वह बिल प्रधान से पास करवाना अनिवार्य होगा और जब तक पिछले बिल प्रधान से पास नहीं होंगे तो अगले बिलों का भुगतान नहीं किया जा सकता ।

16.1.3 संस्थाओं की छात्रनिधि (प्यूपिलस फण्ड) का संचालन संस्था के मुखिया (प्राचार्य/मुख्याध्यापक) तथा महामंत्री व संस्था प्रबंधक में से कोई एक के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा । सरकारी नियमों अनुसार खर्च करेंगे । इसके अतिरिक्त शासकीय निकाय की मीटिंग के प्रस्तावानुसार लेन-देन हो सकता है । प्रधान/महामंत्री व संस्था प्रबंधक तथा प्राचार्य/मुख्याध्यापक एवं फण्ड इन्चार्ज द्वारा प्रत्येक बिल/वाऊचर पास कर हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

16.1.4 दानदाताओं, ऋणदाताओं तथा अनुदान से प्राप्त राशि जिस उद्देश्य के लिए प्राप्त की जाएगी, सिर्फ उसी उद्देश्य पर खर्च की जाएगी । जैन सभा तथा संस्थाओं का अधिक से अधिक धन संचित निधि में रखा जाएगा जिसके खाते राष्ट्रीयकृत बैंकों में होंगे ।

16.1.5 जैन सभा के अंतर्गत संस्थाओं का शासकीय निकाय/कार्यकारिणी समिति के प्रस्तावानुसार कोष राशि निश्चित कर अधिक कोष राशि जैन सभा के बैंक खाते में स्वयं ट्रांसफर हो जाएगी । प्रत्येक संस्था प्रबंधक के माध्यम से संस्था मुखिया (प्राचार्य/वैद्य) विशेष खर्च के लिए अपना बजट या मांग पत्र, महामंत्री पर भिजवाएंगे । महामंत्री आवश्यकतानुसार सभा के प्रधान से सलाह कर वह राशि संस्था के बैंक खाते में स्थानांतरित कराएंगे ।

16.1.6 सभा तथा संस्थाओं की अचल सम्पत्ति पर सभा का पूर्ण अधिकार होगा । इसकी मंजूरी के बिना कोई भी सम्पत्ति बेची या गिरवी नहीं रखी जा सकेगी ।

17. सभा के लेखे :-

17.1.1 महामंत्री के माध्यम से सभा का खजांची आय कर कानून तथा/या किसी अन्य प्राधिकार के अधीन यथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों अर्थात् रोकड़ बही, लेजर इत्यादि को रखने तथा अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेवार होगा जिसमें सभा/संस्थाओं द्वारा प्राप्त तथा खर्च धन की सभी राशियों तथा सभा की परिसम्पत्ति तथा दायित्वों के संबंध में इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर भारत का चार्टर्ड लेखाकार की संस्था शामिल है ।

17.1.2 सभा/संस्थाओं का लेखा पुस्तकें महारजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार या उन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा तथा किसी सदस्य तथा कारोबार समय के दौरान निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएगी ।

17.1.3 सभा/संस्था के वार्षिक लेखे, सभा के प्रधान, महामंत्री, कोषाध्यक्ष एवं संस्था से संबंधित प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षिरित किए जाएंगे ।

17.1.4 जैन सभा कॉलिजियम/शासकीय निकाय व उपसमिति की मीटिंग के निर्णयानुसार बिल/वाऊचर पर पदाधिकारी/सदस्यगण/संस्था संबंधित प्रबंधक तथा उपसमिति के कार्य अधिकारी/सदस्यगण द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

17.1.5 **चार्टर्ड लेखाकार (CA. Auditor) नियुक्ति :-** शासकीय निकाय/कॉलिजियम ऐसे पारिश्रमिक पर जो शासकीय निकाय द्वारा अवधारित किए जाएं, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए सभा/संस्थाओं के लेखों की लेखा परीक्षा तथा आयकर विवरणी को दायर करने के लिए महामंत्री चार्टर्ड लेखाकार (CA. Auditor) को नियुक्त करेगा, जो शासकीय निकाय/कॉलिजियम का सदस्य नहीं होगा ।

17.1.6 जैन सभा एवं अंतर्गत संस्थाओं का अलग-अलग प्रत्येक वित्त वर्ष के लेखों की लेखा परीक्षा (आडिट) कर जैन सभा/संस्थाओं का संयुक्त लेखा-जोखा (आय-व्यय, बैलेन्स शीट) तैयार करवा लेखा परीक्षा (आडिट) कर आयकर विवरणी (इन्कम टैक्स रिटर्न) दाखिल करें । जैन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय व जैन कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का वर्किंग कमेटी व विद्यालय तथा पिपुल फण्डों को संयुक्त रूप से शामिल कर, लेखा-जोखा (लाभ-हानि, बैलेन्स शीट) बनवाकर अलग-अलग लेखा परीक्षा (आडिट) करें । सभा व अलग-अलग संस्था के प्रत्येक बैंक खाता संख्या, एफ.डी.आर. संख्या का विवरण तैयार करवाएं । जिस उद्देश्य से एफ.डी.आर. बनवाई हुई है, उसका वर्णन करवाएं । दान-दातार या सरकार से अनुदान जिस उद्देश्य से प्राप्त हुआ, उसे उस ही उद्देश्य पर खर्च किया गया हो अन्यथा बची राशि का विवरण अलग से करवाएं । संस्था ने संविधान व कॉलिजियम/शासकीय निकाय व गठित उपसमितियों की मीटिंग (कार्यवाही पुस्तिका जाँच कर) के निर्णयानुसार कार्य तथा लेखा-जोखा विधिवत रूप से पदाधिकारीगणों/सदस्यगणों से हस्ताक्षर हुए या नहीं, चार्टर्ड लेखाकार इन विषयों पर अपने अधिकार क्षेत्र में विस्तार से जाँच करते हुए अपनी टिप्पणीयों सहित रिपोर्ट महामंत्री को प्रस्तुत करें । संस्था प्रबंधक व प्राचार्य तथा वैद्य एवं संबंधित स्टाफ, चार्टर्ड लेखाकार (सी ए. आडिटर) को पूर्ण सहयोग कर लेखा परीक्षा (आडिट) करवाएं ।

17.1.7 जैन सभा व उसके अंतर्गत संस्था का (आय-व्यय) लेखा-जोखा सभी कम्प्यूटरीकरण होगा । जो सभा कार्यालय एवं प्रत्येक संस्था कार्यालय में ही बनावाया जाएगा । प्रत्येक संस्था अपना लेखा-जोखा, जैन सभा कार्यालय में पैनड्राईव के माध्यम से प्रत्येक तीन मास का पहले सप्ताह में भेजेगा, वर्ष 31 मार्च की समाप्ति के उपरांत वित्तीय वर्ष का सभी लेखा-जोखा तैयार करवाकर 15 अप्रैल तक सभा कार्यालय में भेज दिया जाएगा ।

17.1.8 जैन सभा तथा संस्थाओं के हिसाब-किताब को Audit करवाने हेतु C.A. की नियुक्ति शासकीय निकाय करेगा । यदि शासकीय निकाय चाहे तो घरेलू Auditor की नियुक्ति कर सकता है । चार्टर्ड एकाऊटेन्ट/ऑडिटर/ घरेलू ऑडिटर अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा में ही कार्य करेंगे । अलग से टिप्पणियाँ न करें । ऑडिट

Rajesh

रिपोर्ट मिलने पर शासकीय निकाय 30 दिन के अंदर-अंदर उस रिपोर्ट की अनुपालना करेगा ।

18. **सामान्य मुद्रा :-**

सभा/संस्थाओं के पास एक सामान्य मुद्रा होगी जो महामंत्री की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी तथा शासकीय निकाय द्वारा अनुमोदन के अनुसार जहां कहीं यह अपेक्षित हो, लगाई जाएगी ।

19. **सभा का सभामेलन :-**

सभा स्वयं को एक समान लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सहित स्थापित किसी अन्य सभा में समामेलित कर सकती है या अधिनियम की धारा 51 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के नियम 25 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार इस निमित्त पारित विशेष संकल्प द्वारा स्वयं में समामेलित करने के लिए किसी अन्य सभा को अनुज्ञात कर सकती है ।

20. **सभा का विघटन :-**

20.1.1 सभा अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार स्वयं विघटन करने के लिए प्रस्ताव कर सकती है । यदि सभा की प्रक्रिया को चलना कठिन हो जाता है, या वह दिवालिया हो जाती है या किसी अन्य दबाव तथा अपरिहार्य कारणों से इसे चलाना कठिन हो जाता है ।

20.1.2 सभा के विघटन की घटना में, सभा की कोई भी परिसम्पत्ति सभा के सदस्यों को मिल जाएगी या में अवितरित कर दी जाएगी ।

20.1.3 इसकी परिसम्पत्ति तथा सम्पत्तियां पहले किसी दायित्व को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाएंगी तो छोड़ी गई सम्पत्तियां/परिसम्पत्तियां, यदि कोई हों, समरूप लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सहित स्थापित किसी अन्य सभा को या साधारण लोकहित में उसके प्रयोग के लिए जिला कलैक्टर को अंतरण के लिए विचारी जाएंगी ।

21. सभा के पदाधिकारी/कॉलिजियम/शासकीय निकाय के सदस्य नया चुनाव होने तक अपना कार्य करते रहेंगे । चुनाव के पश्चात् नए पदाधिकारी/कॉलिजियम/शासकीय निकाय के सदस्य अपना कार्य संभाल लेंगे।

हम यह प्रमाणित करते हैं कि जैन सभा (रजि.), रोहतक की स्थगित विशेष सामान्य बैठक (मीटिंग) रविवार, दिनांक 30 जून 2013 को हरियाणा सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम 2012 के अधीन विद्यमान जैन सभा का संशोधित संविधान, उद्देश्य एवं नियमावली तथा उपनियम सर्वसम्मति से पारित हुआ, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो चुका है । जिला रजिस्ट्रार सोसायटीज़ रोहतक के पत्र क्रमांक D.I.C/ROM/F&S/1351 दिनांक 14.5.2014 के पत्र की अनुपालना करते हुए संविधान संशोधन समिति की मीटिंग दिनांक 16.9.2014 को पुनः समीक्षा करते हुए कुछ उपनियमों में संशोधन किया गया, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ, जो तुरन्त प्रभाव से लागु हो चुका हो। संशोधन के पूर्व व वर्तमान दिनांक 16 सितम्बर 2014 संशोधित उपनियम/बिन्दु अलग पृष्ठ में दिए गए हैं। संशोधित संविधान, उद्देश्य एवं नियमावली तथा उपनियम की उपविधियों को सही प्रति के रूप में उक्त को प्रमाणित करते हैं ।

मनोज कुमार जैन
महामंत्री
जैन सभा (रजि.), रोहतक

राजेश जैन
प्रधान
जैन सभा (रजि.), रोहतक

संशोधित संविधान दिनांक : 30.06.2013
संशोधन संविधान दिनांक : 16.09.2014

जिला रजिस्ट्रार सोसायटीज़ रोहतक के पत्र क्रमांक D.I.C/ROM/F&S/1351 दिनांक 14.5. 2014 के पत्र की अनुपालना करते हुए संविधान संशोधन समिति की मीटिंग दिनांक 16.9.2014 को पुनः समीक्षा करते हुए कुछ उपनियमों में संशोधन किया गया, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ, जो तुरन्त प्रभाव से लागु हो चुका हो। संशोधन के पूर्व व वर्तमान दिनांक 16 सितम्बर 2014 संशोधित उपनियम/बिन्दु हटाये गये या शामिल किये गये वो निम्न प्रकार से है।

हटाये गये उपनियम/बिन्दु

4.2.4 जैन सभा के आजीवन सदस्य बनते समय दिवालिया तथा विकृत चित नहीं होना चाहिए।

7.1.1 या चयन (पैनल द्वारा)

7.1.4 /चयन,

7.1.10 यदि पैनल का गठन नहीं होता और चुनाव होते हैं, तब।

7.2.1 यदि चुनाव वर्ष की त्रिवार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित 3/4 सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है कि सभा के पदाधिकारी/कॉलिजियम/शासकीय निकाय के सदस्य चुनाव पद्धति से नहीं चुने जाने चाहिएं, बल्कि पैनल पद्धति से मनोनयन/चयन किया जाए यानि चुनाव के स्थान पर एक पैनल का गठन किया जाए तो सभा में उपस्थिति सदस्यों में अधिकतम 5 सदस्यों का एक पैनल गठित किया जाएगा और औपचारिक चुनाव नहीं होंगे । पैनल सभा के 5 पदाधिकारियों सहित 60 कॉलिजियम सदस्यों को मनोनीत करेगा जिनमें 4 महिला सदस्या शामिल होंगी । कॉलिजियम सदस्यों में से 5 पदाधिकारियों सहित शासकीय निकाय के 8 सदस्यों को मनोनीत करेगा । जैन सभा के 5 पदाधिकारी, प्रधान, उपप्रधान, महामंत्री, संयुक्तमंत्री, कोषाध्यक्ष व शासकीय निकाय के 8 सदस्य तथा संस्था प्रबंधक की आयु 35 वर्ष निर्वाचित के समय होनी आवश्यक है ।

7.2.2 यदि पैनल के पाँच से अधिक नाम आते हैं और नाम वापिस लेने के बाद पाँच से अधिक सदस्य शेष रह जाते हैं तो उस समय सभा में उपस्थित सदस्य साधारण बहुमत से पैनल के अधिकतम पाँच सदस्यों का निर्वाचन करेंगे ।

7.2.3 पैनल के सभी निर्णय यदि सर्वसम्मति से नहीं होते तो बहुमत के आधार पर किए जाएंगे । सभा के 5 पदाधिकारी सहित 60 कॉलिजियम सदस्य व कॉलिजियम के सदस्यों में से शासकीय निकाय के 8 सदस्य का मनोनयन/मनोनीत करेगा । जो नियमित रूप से निर्वाचित माने जाएंगे । पैनल उन्हीं आजीवन सदस्यगणों में से मनोनयन/चयन करेगा, जो जैन सभा के लगातार एक वर्ष से आजीवन सदस्य हो ।

7.2.4 पैनल के सदस्य कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकेंगे, किंतु कॉलिजियम अथवा शासकीय निकाय के सदस्य बन सकते हैं ।

7.3.6 यदि पैनल पद्धति द्वारा पदाधिकारी/कॉलिजियम/शासकीय निकाय के सदस्य का मनोनयन/चयन होता है तो भी उन्हें उपरोक्त राशि जमा करवानी होगी ।

7.4.1 की आयु 35 वर्ष निर्वाचित के समय होनी आवश्यक है ।

7.4.3 यदि जैन सभा की कॉलिजियम के 65 सदस्यगण का निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है तो 5 पदाधिकारी व शासकीय निकाय के 8 सदस्यागण का चुनाव भी गुप्त मतदान द्वारा होगा । यदि कॉलिजियम के सदस्य चाहें कि प्रधान एवं महामंत्री का मनोनयन/चयन सर्वसम्मति से हो । उन परिस्थितियों में गुप्त मतदान नहीं होगा बल्कि सर्वसम्मति से प्रधान और महामंत्री का मनोनयन/चयन कर दिया जाएगा और नव-निर्वाचित प्रधान एवं महामंत्री संयुक्त रूप से 3 पदाधिकारी, उपप्रधान, संयुक्तमंत्री, कोषाध्यक्ष सहित शासकीय निकाय के सदस्यों का मनोनयन/चयन करेंगे और गुप्त मतदान नहीं होगा ।

Rajesh

10.1 और पदाधिकारी, प्रधान, उपप्रधान, महामंत्री, संयुक्तमंत्री, कोषाध्यक्ष तथा संस्था प्रबंधक व शासकीय निकाय के सदस्य की आयु 35 वर्ष चुनाव नामांकन भरते समय हो ।

शामिल किये गये उपनियम/बिन्दु

4.2.4 प्रत्येक अग्रवाल जैन जिसकी आयु सदस्य बनते समय 21 वर्ष हो चुकी हो, वह रोहतक नगर सीमा का स्थाई निवासी हो, अपनी आजीविका कमाने के लिए रोहतक नगर से बाहर देश/विदेश में रहता/रहती हो परन्तु उसका प्रमाणित रिकार्ड रोहतक नगर सीमा में हो या उसका परिवार रोहतक नगर सीमा में रहता/रहती हो। प्रमाणित से अभिप्राय: उनकी रोहतक नगर में सम्पति/मकान हो तथा परिवार से अभिप्राय: माता/पिता व पति/पत्नी तथा बच्चे रोहतक नगर में रहता/रहती हो तथा वह स्वयं रोहतक आता रहता/रहती हो, जैन सभा का सदस्य बन सकता है/सकती है। ऐसे सदस्य की सदस्यता का नियमानुसार शुद्धिकरण किया जा सकेगा। उनका स्थाई पता रोहतक नगर सीमा का होगा व पत्र व्यवहार पता जहाँ रह रहा है वहाँ का दे सकता है।

7.2.1 जैन सभा (रजि.) की कॉलिजियम के 65 सदस्यों का निर्वाचन गुप्तमतदान द्वारा होगा

मनोज कुमार जैन
महामंत्री
जैन सभा (रजि.), रोहतक

राजेश जैन
प्रधान
जैन सभा (रजि.), रोहतक

District Registrar of Societies ROHTAK

संशोधन संविधान दिनांक : 16.09.2014

21. जैन सभा (रजि.) का शुद्धिकरण सदस्यता आवेदन-पत्र प्रारूप-1

www.jainsabharohtak.in
rohtakjainsabha1905.gmail.com

॥ श्री महावीराय नमः ॥

फार्म संख्या.....

जैन सभा (रजि.) रोहतक

सदस्यता रजि.सं.....

(चिन्तामणी पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र)

सदस्यता सूची नं.....

परस्परोपग्रहो जीवानाम्

आजीवन सदस्यता, शुद्धिकरण, आवेदन-पत्र

फोटो

मान्यवर, प्रधान/महामंत्री,
जैन सभा (रजि.) रोहतक
संबंधित निशान लगाएं ☑ ☒

मैं..... जैन सभा (रजि.) रोहतक का/की आजीवन सदस्य हूँ । मेरा नाम रजिस्ट्रेशन संख्या..... सदस्यता सूची संख्या..... पर अंकित है । त्रिवार्षिक अंशदान राशि 100/- रूपये व पहचान-पत्र अंशदान राशि 50/- रूपये, कुल राशि 150/- रूपये आवेदन-पत्र के साथ दे रहा हूँ । मेरी आजीवन सदस्यता का शुद्धिकरण (नवीनीकरण) किया जाए ।

शपथ-पत्र

1. मैं ब्यान करता/करती हूँ कि रोहतक नगर सीमा का/की स्थाई निवासी हूँ और वर्तमान में रोहतक नगर में रहता/रहती हूँ । ☐
2. मैं ब्यान करता/करती हूँ कि मेरा जन्म जैन कुल में हुआ और जैन धर्म में पूर्ण आस्था है तथा दृढ़तापूर्वक पालन कर रहा/रही हूँ । ☐
3. मैं ब्यान करता/करती हूँ कि अपनी आजीविका चलाने के लिए रोहतक नगर सीमा से बाहर चला गया/गई हूँ और मेरी पत्नी/पति/बच्चे मेरे साथ रह रहे हैं । ☐
4. मैं ब्यान करती हूँ कि मेरा जन्म जैनेत्तर कुल में हुआ और विवाह के उपरांत पति का जैन धर्म ग्रहण कर इसमें पूर्ण आस्था है तथा दृढ़तापूर्वक पालन कर रही हूँ । ☐
5. मैं ब्यान करती हूँ कि मेरा जन्म अग्रवाल जैन कुल में हुआ और विवाह जैनेत्तर कुल में हुआ तथा विवाह उपरांत पति के सनातन धर्म/अन्य ..... धर्म को ग्रहण कर लिया है । ☐
6. मैं ब्यान करता/करती हूँ कि मैंने जैन सभा (रजि.) के संविधान, उद्देश्य एवं नियमावली तथा उपनियम तथा हरियाणा सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण तथा विनियम अधिनियम 2012, को पढ़ व समझ लिया है, अप्रतिबंध रूप से समर्थन तथा उसके लाभ के प्रति अंशदान करता/करती रहूँ/रहूँगी और सभी का निष्ठापूर्वक पालन करूँगा/करूँगी । ☐

(स्पष्ट शब्दों में भरें :- हिन्दी/अंग्रजी) आवश्यक ब्यौरा निम्नलिखित है :

आवेदनकर्ता का पूरा नाम.....पिता/पति का नाम.....

जाति.....गोत्र.....जन्म तिथि.....शैक्षणिक योग्यता.....व्यवसाय.....

स्थाई निवास पता..... ☐

पत्र व्यवहार पता..... ☐

प्रतिष्ठान नाम पता..... ☐

इन्कम टैक्स पैन नं.....ई-मेल आई.डी. नं.....आधार कार्ड नं.....

मो./दूरभाष घर..... ☐ कार्यालय..... ☐ मोबाईल..... ☐

मैं शपथपूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि उपरोक्त ब्यान व सूचना पढ़ व समझकर अपना हस्ताक्षर/अंगूठा लगाया है ।

धन्यवाद सहित

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

आवेदन का नाम.....

फार्म शुल्क :- 10/- प्रति

नोट : स्थाई पता व आयु प्रमाण-पत्र आवेदन कर्ता स्वयं प्रमाणित कर संलग्न करे । कम्प्यूटरीकरण पहचान-पत्र हेतु दो फोटो संलग्न फार्म पर लगाकर उसके नीचे काले पैन से हस्ताक्षर करे । सदस्य सूची (Voter List) में जो पता व मोबाईल नं. प्रकाशिक करवाना है, उस पर ☑ का निशान लगाएं ।

आवेदनकर्ता को प्राप्ति रसीद

फार्म नं. .....

श्री..... से जैन सभा (रजि.) के आजीवन सदस्यता शुद्धिकरण आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ जांच पड़ताल समिति द्वारा जांच करने तथा प्रबंधकारिणी/शासकीय निकाय की मीटिंग के प्रस्तावानुसार ही सदस्तया सूची में नाम अंकित (प्रकाशिक) किया जाएगा । पहचान-पत्र हेतु आवेदन पत्र के साथ अंशदान राशि 150/- रूपये प्राप्त किए ।

दिनांक..... नाम प्राप्तकर्ता..... हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता.....

Rajesh

प्रस्तावक :-

मैं श्री..... सुपुत्र श्री..... आयु..... वर्ष निवासी..... को जैन सभा (रजि.) के आजीवन सदस्य के रूप में शुद्धिकरण करने की सिफारिश करता/करती हूँ ।

प्रस्तावक आजीवन सदस्य का नाम..... प्रस्तावक के हस्ताक्षर.....

सदस्यता रजिस्ट्रेशन नं. ..... आजीवन सदस्यता सूची नं. .....

दिनांक..... स्थान : रोहतक

(केवल कार्यालय के लिए)

संबंधित निशान लगाएं ☑ ☒

जैन सभा (रजि.) की प्रबंधकारिणी/शासकीय निकाय दिनांक..... की मीटिंग द्वारा आजीवन सदस्यता, गठित, जाँच पड़ताल समिति (Scrutiny Committee) बनाई गई । जांच पड़ताल समिति द्वारा योग्य आजीवन सदस्यता शुद्धिकरण आवदेन-पत्र जाँच करने के पश्चात ठीक पाया गया नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है । ☐

जांच करने के पश्चात ठीक नहीं पाया फार्म अस्वीकार किया जाता है । ☐

रजिस्ट्रेशन संख्या..... प्रदान की गई । प्रबंधकारिणी/शासकीय निकाय की मीटिंग के प्रस्तावानुसार सदस्यता सूची में नाम अंकित (प्रकाशिक) किया जाएगा ।

1 2 3

नाम/हस्ताक्षर - जाँच पड़ताल समिति सदस्य

नाम/हस्ताक्षर - महामंत्री/प्रधान
जैन सभा (रजि.) रोहतक

4.4.3 **आजीवन सदस्य अंशदान :-** जैन सभा के प्रत्येक अग्रवाल जैन, आजीवन सदस्य को प्रत्येक त्रिवार्षिक (चुनाव वर्ष) में कम से कम अंशदान राशि 100 रुपया (कॉलिजियम जो अंशदान निश्चित करे) देना अनिवार्य होगा ।

4.5.5 **आजीवन सदस्यों का पुन: निरीक्षण :-** जैन सभा की कॉलिजियम/शासकीय निकाय के प्रस्तावानुसार महामंत्री, प्रत्येक त्रिवार्षिक (चुनाव वर्ष) में आजीवन सदस्यों का पुन: निरीक्षण करवाए । यदि शासकीय निकाय जरूरत समझे तो पुन: आजीवन सदस्यता शुद्धिकरण आवेदन-पत्र भरवाएं । उसी अनुसार सदस्यता सूची (Voter List) का प्रकाशन हो और त्रिवार्षिक सामान्य बैठक (चुनाव मीटिंग) में भाग लेने तथा चुनाव में मत देने का अधिकार होगा । जिनका नाम सदस्यता सूची (Voter List) में प्रकाशन होगा ।

4.8 सदस्यता की समाप्ति

4.8.7 यदि वह अपनी इच्छा से आजीवन सदस्यता से त्यागपत्र दे दे और वह सभा के प्रधान व महामंत्री द्वारा संयुक्त रूप से स्वीकृत कर लिया जाए ।

4.8.8 यदि वह जैन धर्म को छोड़कर अन्य धर्म ग्रहण कर ले ।

4.8.9 ऐसी कोई महिला सदस्य जिसका जैनेतर कुल में विवाह हो जाने पर या वर्तमान में महिला का विवाह होने पर रोहतक से तथा बाहर किसी अन्य स्थान परिवर्तन होने पर वह महिला आजीवन सदस्य नहीं रहेगी ।

4.8.10 जैन सभा के आजीवन सदस्य जो रोहतक नगर छोड़कर किसी अन्य स्थान पर रहने लग जाए और रोहतक में उसका प्रमाणित रिकार्ड उपलब्ध न हो, ऐसे सदस्य जो बने हुए हैं और वर्तमान में बने हैं, उनकी सदस्यता कॉलिजियम की मीटिंग में 3/4 या 49 सदस्यों के बहुमत से समाप्त की जाएगी ।

नोट :- यह बातें वर्तमान में बने/बनी सदस्य/सदस्याओं पर भी लागू होंगी ।

महामंत्री, जैन सभा (रजि.), रोहतक

दिनांक..... नाम प्राप्तकर्ता..... हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता.....

Rajesh

22. जैन सभा (रजि.) का आजीवन सदस्यता आवेदन-पत्र प्रारूप-2

॥ श्री महावीराय नमः ॥

फार्म संख्या A..........................

जैन सभा (रजि.) रोहतक

सदस्यता रजि.सं.........................

(चिन्तामणी पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र)

सदस्यता सूची नं........................

परस्परोपग्रहो जीवानाम्

आजीवन सदस्यता आवेदन-पत्र

फोटो

मान्यवर, प्रधान/महामंत्री,
जैन सभा (रजि.) रोहतक
संबंधित निशान लगाएं ☑ ☒

मैं...................................... जैन सभा के आजीवन सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए आवेदन करता हूँ/करती हूँ। मैं आवेदन पत्र के साथ अपने स्वयं के बैंक नाम.. खाता संख्या................................ में से आजीवन सदस्यता अंशदान राशि 1100/- रूपया व पहचान-पत्र अंशदान राशि 50 रूपये कुल राशि + 1150 रूपये के लिए चैक/बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर नं. .... जैन सभा के नाम देय से दे रहा/रही हूँ। मुझे संविधानानुसार आजीवन सदस्य बनाने की कृपा करें।

शपथ-पत्र

1. मैं ब्यान करता/करती हूँ कि रोहतक नगर सीमा का/की स्थाई निवासी हूँ और वर्तमान में रोहतक नगर में रहता/रहती हूँ। ☐
2. मैं ब्यान करता/करती हूँ कि मेरा जन्म अग्रवाल जैन कुल में हुआ और जैन धर्म में पूर्ण आस्था है तथा दृढ़तापूर्वक पालन कर रहा/रही हूँ। ☐
3. मैं ब्यान करती हूँ कि मेरा जन्म जैनेत्तर कुल में हुआ और विवाह के उपरांत पति का जैन धर्म ग्रहण कर इसमें पूर्ण आस्था है तथा दृढ़तापूर्वक पालन कर रही हूँ। ☐
4. मैं ब्यान करता/करती हूँ कि मैंने जैन सभा (रजि.) के संविधान, उद्देश्य एवं नियमावली तथा उपनियम तथा हरियाणा सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण तथा विनियम अधिनियम 2012, को पढ़ व समझ लिया है, अप्रतिबंध रूप से समर्थन तथा उसके लाभ के प्रति अंशदान करता/करती रहूँ/रहूँगी और सभी का निष्ठापूर्वक पालन करूँगा/करूँगी। ☐

(स्पष्ट शब्दों में भरें :- हिन्दी/अंग्रजी) आवश्यक ब्यौरा निम्नलिखित है :

आवेदनकर्ता का पूरा नाम..**पिता/पति का नाम**..

जाति.........................**गोत्र**..............................**जन्म तिथि**......................................**शैक्षणिक योग्यता**............................**व्यवसाय**..........................

स्थाई निवास पता.. ☐

पत्र व्यवहार पता.. ☐

प्रतिष्ठान नाम पता.. ☐

इन्कम टैक्स पैन नं...................................**ई-मेल आई.डी. नं**...**आधार कार्ड नं**...

मो./दूरभाष घर......................................☐ **कार्यालय**..................................☐ **मोबाईल**......................................☐

मैं शपथपूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि उपरोक्त ब्यान व सूचना पढ़ व समझकर अपना हस्ताक्षर/अंगूठा लगाया है।

धन्यवाद सहित

दिनांक.............................

हस्ताक्षर...................................

आवेदन का नाम.............................

फार्म शुल्क :- 10/- प्रति

नोट : स्थाई पता व आयु प्रमाण-पत्र आवेदन कर्ता स्वयं प्रमाणित कर संलग्न करे। कम्प्यूटरीकरण पहचान-पत्र हेतु दो फोटो संलग्न फार्म पर लगाकर उसके नीचे काले पैन से हस्ताक्षर करे। सदस्य सूची (Voter List) में जो पता व मोबाईल नं. प्रकाशिक करवाना है, उस पर ☑ का निशान लगाएं।

-------------✂------------------------✂------------------------✂------------------------✂-------------

आवेदनकर्ता को प्राप्ति रसीद

फार्म नं. ....

श्री...................................... से जैन सभा (रजि.) के आजीवन सदस्यता हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ जांच पड़ताल समिति द्वारा जांच करने तथा प्रबंध कारिणी/शासकीय निकाय की मीटिंग के प्रस्तावानुसार ही सदस्तया सूची में नाम अंकित (प्रकाशिक) किया जाएगा। आजीवन सदस्यता व पहचान-पत्र हेतु आवेदन पत्र के साथ अंशदान राशि 1150/- रूपये चैक/डी.डी./पे-आर्डर संख्या.. बैंक नाम.................................. .... का जैन सभा (रजि.) रोहतक में प्राप्त किया।

दिनांक....................................   नाम प्राप्तकर्ता..................................   हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता..

Rajesh

प्रस्तावक :-

मैं श्री..... सुपुत्र श्री..... आयु..... वर्ष निवासी..... को जैन सभा (रजि.) के आजीवन सदस्य के रूप में शामिल करने की सिफारिश करता/करती हूँ ।

प्रस्तावक आजीवन सदस्य का नाम..... प्रस्तावक के हस्ताक्षर.....

सदस्यता रजिस्ट्रेशन नं. ..... आजीवन सदस्यता सूची नं. .....

दिनांक..... स्थान : रोहतक

(केवल कार्यालय के लिए)

संबंधित निशान लगाएं ☑ ☒

जैन सभा (रजि.) की प्रबंधकारिणी/शासकीय निकाय दिनांक..... की मीटिंग द्वारा आजीवन सदस्यता गठित, जाँच पड़ताल समिति (Scrutiny Committee) बनाई गई । जांच पड़ताल समिति द्वारा योग्य आजीवन सदस्यता आवेदन-पत्र जाँच करने के पश्चात ठीक पाया गया नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है । ☐

जांच करने के पश्चात ठीक नहीं पाया फार्म अस्वीकार किया जाता है । ☐

रजिस्ट्रेशन संख्या..... प्रदान की गई । प्रबंधकारिणी/शासकीय निकाय की मीटिंग के प्रस्तावानुसार सदस्यता सूची में नाम अंकित (प्रकाशिक) किया जाएगा ।

1 2 3

नाम/हस्ताक्षर - जाँच पड़ताल समिति सदस्य

नाम/हस्ताक्षर - महामंत्री/प्रधान
जैन सभा (रजि.) रोहतक

नियम-4 सदस्यता

4.2.1 जैन सभा के आजीवन साधारण सदस्य बनते समय 21 वर्ष की आयु का होना चाहिए ।

4.2.2 जैन सभा के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में अंशदान करना होगा ।

4.2.3 आजीवन सदस्य अंशदान राशि देकर सदस्यता ग्रहण कर सकता है ।

4.2.6 जैन सभा के आजीवन सदस्य बनते समय प्रत्येक अग्रवाल जैन जिसकी आयु सदस्य बनते समय 21 वर्ष हो चुकी हो, वह रोहतक नगर की सीमा में रहता हो/रहती हो, वह अपनी आजीविका कमाने के लिए रोहतक से बाहर जाता हो/जाती हो परन्तु उसका परिवार, पति/पत्नी तथा बच्चे रोहतक नगर में रहते हों तथा वह स्वयं भी रोहतक आता रहता/रहती हो, जैन सभा का सदस्य बन सकता है/सकती है ।

4.8 सदस्यता की समाप्ति

4.8.7 यदि वह अपनी इच्छा से आजीवन सदस्यता से त्यागपत्र दे दे और वह सभा के प्रधान व महामंत्री द्वारा संयुक्त रूप से स्वीकृत कर लिया जाए ।

4.8.8 यदि वह जैन धर्म को छोड़कर अन्य धर्म ग्रहण कर ले ।

4.8.9 ऐसी कोई महिला सदस्य जिसका जैनेतर कुल में विवाह हो जाने पर या वर्तमान में महिला का विवाह होने पर रोहतक से तथा बाहर किसी अन्य स्थान परिवर्तन होने पर वह महिला आजीवन सदस्य नहीं रहेगी ।

4.8.10 जैन सभा के आजीवन सदस्य जो रोहतक नगर छोड़कर किसी अन्य स्थान पर रहने लग जाए और रोहतक में उसका प्रमाणित रिकार्ड उपलब्ध न हो, ऐसे सदस्य जो बने हुए हैं और वर्तमान में बने हैं, उनकी सदस्यता कॉलिजियम की मीटिंग में 3/4 या 49 सदस्यों के बहुमत से समाप्त की जाएगी ।

नोट :- यह बातें वर्तमान में बने/बनी सदस्य/सदस्याओं पर भी लागू होंगी ।

महामंत्री, जैन सभा (रजि.), रोहतक

दिनांक..... नाम प्राप्तकर्ता..... हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता.....

हम, विभिन्न पदाधिकारी/सदस्यगण जिनके नाम तथा पते इसके नीचे अभिदत हैं, हम यह प्रमाणित करते हैं कि जैन सभा (रजि.), रोहतक की स्थगित विशेष सामान्य बैठक (मीटिंग) रविवार, दिनांक 30 जून 2013 को हरियाणा सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम 2012 के अधीन विद्यमान जैन सभा का संशोधित संविधान, उद्देश्य एवं नियमावली तथा उपनियम सर्वसम्मति से पारित हुआ, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो चुका है । जिला रजिस्ट्रार सोसायटीज़ रोहतक के पत्र क्रमांक D.I.C/ROM/F&S/1351 दिनांक 14.5.2014 के पत्र की अनुपालना करते हुए संविधान संशोधन समिति की मीटिंग दिनांक 16.9.2014 को पुनः समीक्षा करते हुए कुछ उपनियमों में संशोधन किया गया, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ, जो तुरन्त प्रभाव से लागु हो चुका हैं। संशोधन के पूर्व व वर्तमान दिनांक 16 सितम्बर 2014 संशोधित उपनियम/बिन्दु अलग पृष्ठ में दिए गए हैं। संशोधित संविधान, उद्देश्य एवं नियमावली तथा उपनियम की उपविधियों को सही प्रति के रूप में उक्त को प्रमाणित करते हैं ।

क्र. सं.	पदाधिकारियों/सदस्यों का नाम व पिता का नाम	पद नाम	पूरा पता	हस्ताक्षर
1.	राजेश जैन S/o श्री विमल प्रसाद जैन (एल.पी.एस. बोसार्ड)	प्रधान	एल.पी.एस. हाऊस, कोठी नं. 1, सैक्टर-1, रोहतक, 09811082838	
2.	मनोज कुमार जैन (डब्बू) S/o श्री लीलूराम जैन	महामंत्री	मै. लीलूराम प्रमोद कुमार जैन अनाज मण्डी रोहतक 9215813003	
3.	द्वीप कुमार जैन S/o श्री मोतीराम जैन	सहसंयोजक संविधान समिति	270/5, सराय मौहल्ला, रोहतक, 8607440022	
4.	राजेश जैन S/o श्री ऋषभ चन्द जैन	सदस्य संविधान समिति	डी.एल.एफ. कॉलोनी 9896656401	
5.	अनिल जैन लोहिया S/o श्री सुमत प्रसाद जैन लोहिया	सदस्य संविधान समिति	फर्म शंकरदास वैद्यनाथ, रेलवे रोड़, रोहतक 9315444690	
6.	प्रभाष जैन (भाषू) S/o श्री त्रिलोकचन्द जैन	सदस्य संविधान समिति	घेरकपूरचन्द, रेलवे रोड़, रोहतक, 9466448777	
7.	अतुल जैन (मालाबार) S/o श्री रमेशचन्द जैन	सदस्य संविधान समिति	ग्रीन रोड़, रोहतक 9728999999	

संशोधित संविधान दिनांक : 30.06.2013
संशोधन संविधान दिनांक : 16.09.2014

Certified to be a true copy

District Registrar of Firms & Societies, Rohtak, Haryana

21/11/14